



वार्षिक रिपोर्ट 2007-08

वार्षिक रिपोर्ट ब्रह्मपुत्र बोर्ड



वर्ष
2007-2008



प्राक्कथन

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के कार्यकलापों और वर्ष 2007-08 की वार्षिक लेखें सम्मिलित हैं। वर्ष के दौरान बोर्ड की दो बैठकें (45वीं और 46वीं) हुईं। इस वार्षिक रिपोर्ट में संगठन की संरचना, इसके फील्ड तथा फील्ड-इतर कार्यकलापों के अतिरिक्त वार्षिक लेखें की एक व्यापक दृष्टि को प्रतिफलित किया गया है।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रति उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभारी हूँ और जल संसाधन मंत्रालय का बोर्ड को विभिन्न कार्यकलापों को चलाकर ले जाने में दिए गए मार्गदर्शन, सुझाव तथा सविस्तार समर्थन एवं अपेक्षित निधि के आवंटन दिलाने के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का बोर्ड के वार्षिक लेखे की लेखापरीक्षा कर देने के लिए धन्यवाद प्रदान करता हूँ।

मैं बोर्ड के सभी अधिकारी/स्टाफ का बोर्ड के लक्ष्य प्राप्ति में दिए गए उनके कठोर परिश्रम के लिए सराहना करता हूँ।

राजनायर
(राजन नायर)
अध्यक्ष



ब्रह्मपुत्र बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट

2007-08

विषय-सूची

अध्याय -I	सामान्य	पृष्ठ सं.
	1.1 ब्रह्मपुत्र घाटी, बराक घाटी तथा त्रिपुरा की नदियाँ	1-3
	1.2 बोर्ड कार्यालय की स्थापना और इसके कार्य	3-5
	1.3 बोर्ड की बैठकें	5
	1.4 बोर्ड की सांगठनिक संरचना	5
अध्याय-II	सामान्य समीक्षा	
	2.1 प्रशासन तथा संगठन	6
	2.2 वित्त, लेखा तथा लेखापरीक्षा	6-7
अध्याय-III	ब्रह्मपुत्र बोर्ड के फील्ड-इतर कार्यकलाप	
	3.1 अक्षम व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन	8
	3.2 लिंग न्याय और यौन उत्पीड़न पर शिकायत समिति	9
	3.3 सतर्कता और अनुशासनिक मामले	9
	3.4 संगोष्ठी/सिम्पोजियम/कार्यशाला/ प्रशिक्षण आदि में अंशग्रहण	9
	3.5 हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग	9-11
	3.6 सतर्कता सप्ताह	11
	3.7 सिटिजन चार्टर का सूत्रीकरण	11
	3.8 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	11-12
अध्याय-IV	वर्ष 2007-2008 के दौरान किये गये ब्रह्मपुत्र बोर्ड के फील्ड कार्यकलाप	
	4.1 मास्टर योजना की तैयारी तथा सर्वेक्षण, अन्वेषण में हुई प्रगति की समीक्षा, जलनिकास स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और बहुप्रयोजनी परियोजना का डीपीआर	13-19
	4.2 निर्माण कार्यकलाप	19-22
	4.3 जलनिकास विकास परियोजना का निर्माण	22
	4.4 अन्य एजेंसियों द्वारा निधिपोषित कार्य	22
	4.5 बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन बाढ़ नियंत्रण एवं नदी प्रबंधन और नदी प्रबंधन कार्य (राज्य क्षेत्र की योजना)	22-23



अध्याय-V	नि. एवं म.ले. परीक्षक द्वारा वार्षिक लेखे की लेखापरीक्षा	पृष्ठ सं.
5.1	लेखा विवरण	24-53
5.2	लेखे के विवरण पर स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी	54-55
5.3	वर्ष 2007-2008 के लिए वार्षिक लेखे की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	56-61
अध्याय-VI	वर्ष 2007-08 के दौरान महत्वपूर्ण बैठके	
6.1	ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठक निर्णय	62
6.2	स्थायी समिति की बैठक	62
6.3	अन्य महत्वपूर्ण बैठके/घटनाएँ	62-63
	अनुबंध	64-72



अनुबंधों की सूची

अनुबंध संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
I	बोर्ड की संरचना	64-65
II	हार्डपावर रिव्यू बोर्ड	66
III	ब्रह्मपुत्र बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट	67
IV	31.3.2008 को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. तथा शा.विक. की स्थिति सहित नियमित स्वीकृत बल एवं अधिकारियों/ स्टाफ की संख्या की स्थिति का विवरण	68
V	वर्ष 2007-08 के दौरान प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला के लिए भेजे गए अधिकारियों/ स्टाफ की सूची	69
VI	अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारियों की सूची	70
VII	आर टी आइ सूचना प्रणाली 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन	71-72
VIII	मास्टर योजना की स्थिति	68*
IX	जलनिकास विकास स्कीम की स्थिति	69*
X	बहुप्रयोजनी परियोजना की स्थिति	70*

*अंग्रेजी भाग में

**फोटोग्राफ्स और प्लेट्स की सूची***

क्र.सं.	विवरण	पृ.संख्या
1.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अधिकार क्षेत्र	5
2.	दिनांक 20.9.2007 को गुवाहाटी में आयोजित ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 45वीं (स्थगित) बैठक ।	6
3.	दिनांक 8.2.2008 को गुवाहाटी में आयोजित ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 46वीं (स्थगित) बैठक ।	6
4.	दिनांक 12 से 26 नवम्बर, 2007 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा सतर्कता जारूकता सप्ताह का पालन ।	12
5.	दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2007 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा हिन्दी पखवाड़ा का पालन ।	12
6.	माननीय मंत्री महोदय (ज.सं.) और सचिव (ज.सं.) द्वारा माजुली के तट कटाव क्षेत्र का निरीक्षण ।	22
7.	कमलाबारी घाट पर आर सी सी डेम्पेनर ।	22
8.	माननीय मंत्री महोदय (ज.सं.) माजुली में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष के साथ चर्चा करते हुए ।	23
9.	माजुली दौरे के समय माननीय मंत्री महोदय (ज.सं.) सरकारी पदाधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करते हुए	23
10.	माननीय मंत्री महोदय (ज.सं.) असम के रोहमरिया में स्थानीय निवासियों के साथ विचार- विमर्श करते हुए ।	24
11.	धोला-हातीघुली में आर सीसी पक्यूपाइन स्क्रीन ।	24
12.	पूर्वोत्तर भारत में जलविद्युत परियोजनाओं का अवस्थान - नक्शा	25

* सभी फोटोग्राफ्स अंग्रेजी भाग में



संकेताक्षर एवं इकाइयों की शब्दावली

संकेताक्षर

सी डब्ल्यू सी	केजआ	केन्द्रीय जल आयोग
डी पी आर	विपरी	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी डी एस	जनिविस्की	जलनिकास विकास स्कीम
आइ एम डी	भामौवि	भारतीय मौसमविज्ञान विभाग
जी ओ आइ	भास	भारत सरकार
एम ओ डब्ल्यू आर	जसंमं	जल संसाधन मंत्रालय
एस एफ सी	स्थाविस	स्थायी वित्त समिति
इ एफ सी	विव्यस	वित्त व्यय समिति
एन इ इ पी सी ओ	उपूविशनि	उत्तरपूर्वी विद्युत शक्ति निगम
इ आइ ए	पप्रमू	पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन
आइ एंड आर	पुएवंपुन	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना
इ एम पी	पप्रयो	पर्यावरण प्रबंधन योजना
एम पी	बप्र	बहुप्रयोजनी
सी इ ए	केविप्रा	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
एस ओ आइ	भासवि	भारतीय सर्वेक्षण विभाग
एन ओ सी	अप्र	अनापत्ति प्रमाणपत्र
जी एस आइ	भाभूस	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
एन इ सी	पूपरि	पूर्वोत्तर परिषद
एन इ एच ए आर आइ	पूजसगसं	पूर्वोत्तर जल एवं संबद्ध गवेषणा संस्थान
सी डब्ल्यू पी आर एस	केजविअके	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
सी एंड एम आर एस	केमृसाअके	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र
एन एच	राराज	राष्ट्रीय राजमार्ग
बी टी सी	बोटेका	बोडोलैंड टेरिटरीअल काउंसिल
बी एंड बी	ब्रबरा	ब्रह्मपुत्र और बराक
पी ए एफएस	पप्रपरि	परियोजना प्रभावित परिवार
पी ए पीएस	प्रप्रव्य	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
पी एच	शाविक	शारिरीक विकलांग
एस सी	अजा	अनुसूचित जाति
एस टी	अजजा	अनुसूचित जनजाति



इकाइयाँ

क्यूमेक	प्रति सेकंड क्यूबिक मीटर
क्यूसेक	प्रति सेकंड क्यूबिक फूट
एचए	हैक्टेयर
एम डब्ल्यू	मेगावाट
एम	मीटर
स्क्वा.के.एम	वर्ग किलोमीटर
के.एम	किलोमीटर
आरएस	रूपए
एफटी	फूट
क्यू.एम	क्यूबिक मीटर

अध्याय-I

सामान्य

1.1 ब्रह्मपुत्र घाटी, बराकघाटी और त्रिपुरा की नदियाँ

1.1.1 ब्रह्मपुत्र घाटी

ब्रह्मपुत्र विश्व की नदियों में से एक वृहद नद है जिसका विशिष्ट उपज 85 है.मी/ वर्ग कि.मी. है और जो अमाजॉन (87 है.मी. / वर्ग कि.मी.) से ठीक पीछे है। यह गंगा-मेघना ब्रह्मपुत्र प्रणाली का प्रमुख नद है। यह मानसरोवर के पूर्व में स्थित कांगलूंग-काङ ग्लेशियर से 5150 मीटर की ऊँचाई से निकलता है एवं तिब्बत में प्रथम 1625 कि.मी. घूम फिर कर 918 कि.मी. भारत (278 कि.मी. अरुणाचल प्रदेश में और 640 कि.मी. असम में) तथा बांगलादेश में बंगाल की खाड़ी तक 363 कि.मी. बहता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तारित क्षेत्र 5,80,000 वर्ग कि.मी. है जिसमें 2,93,000 वर्ग कि.मी. तिब्बत में और 47000 वर्ग कि.मी. बांगलादेश में एवं 2,40,000 वर्ग कि.मी. भारत और भूटान में स्थित है। असम घाटी में कोबो से धुबरी तक इसके सफर के दौरान उत्तर पार की प्रायः 26 खास-खास उपनदियाँ और दक्षिण पार की प्रायः 13 उपनदियाँ इससे जुड़ती हैं। उत्तर पार की कुछ उपनदियाँ हिमालय की बर्फीली क्लेड से तथा अन्य नीचले हिमालय से निकलती हैं। नद का भारत-बांगलादेश सीमा पर स्थित जोगीघोपा में कुल वार्षिक बहाव 573 बी सी एम है जो देश की कुल सतही प्रवाह का 29% है। ब्रह्मपुत्र घाटी की औसत चौड़ाई 80 कि.मी. है जिसमें से नद स्वयं 1.5 कि.मी. से 25 कि.मी. का स्थान घेरता है।

कुछ स्थानों को छोड़कर असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नद

समग्र अभिगम में ब्रेडेड तथा अस्थिर है। नद की अस्थिरता अधिक मात्रा में साद बहुत ऊँची चढ़ाई और तिरछे ढाल उत्पन्न करती है। इसके अलावा, समग्र क्षेत्र भू-कम्प प्रवण है और समय समय पर सामान्य से उग्रतर भूमिकम्प के झटके महसूस किए जाते रहते हैं। अत्यधिक वर्षाजल से भूस्खलन के कारण साद की समस्या और अधिक गंभीर बन जाती है। आगे, स्थानांतरणीय कृषि के रूप में मनुष्य द्वारा की गई परिहार्य कुछ कार्रवाईयों के चलते तथा वनों के अवैज्ञानिक व्यवसायिक संदोहन आदि के कारणों से जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि कटाव प्रक्रिया में भी गतिवर्धन होता है। जैसे ही नदी समतल में उतरती है तब ढलान में अकस्मात कमी आ जाने के कारण प्रवाह की तीव्रता में भी कमी आ जाती है और इसकी साद बहन क्षमता में कमी आने से इस प्रक्रिया में लाया गया साद जमा हो जाता है। साद के अत्यधिक मात्रा में जमा होने से नद बार-बार इसके बहाव में परिवर्तन करता है। अत्यधिक मात्रा में हुए साद के जम जाने से भी नदी प्रणाली की सीध (एलायनमेंट) में किनारी और टेढ़ेमेढ़े पेटर्न ऊपर उठ जाती है। ऊपरी असम में स्थित विश्व का वृहत्तम नदी द्वीप माजुली, नदी में ही समाए रहता है। ब्रह्मपुत्र नद के बायें तट की उपनदियाँ चौड़े ढलानों सहित सुस्थिर अभिगमों से बहती हैं और फीनर आकार की निम्नतर साद बहन करती है। हिप्सोमैट्रिक विश्लेषण द्वारा यह पाया गया है कि उत्तर पार की उपनदियाँ सापेक्षतः युवावस्था सूचित करती है जबकि दक्षिणी तट की उपनदियाँ परिपक्व हैं। यह ब्रह्मपुत्र नद के स्वाभाविक रूझान के अपने को प्रवाह को दक्षिण की ओर बदलने से



होती है। और नद अपने दोनों किनारे में पहाड़ियों के पास से बहता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ एक पुनरावर्ती क्रिया है जिससे क्षेत्र में प्रायः प्रत्येक वर्ष भारी नुकसान होता है। बाढ़ के कारणों को निम्नलिखित प्रकार से सारांशित किया जा सकता है:

- क) ब्रेडेड प्रकृति के होने के कारण नदी कैनलों को अपर्याप्त वहन क्षमता और उससे बाढ़ के पानी के तटों के ऊपर चढ़ने से,
- ख) मुख्य नदी में उच्चतम जलस्तर के दौरान उपनदियों के मुहानों में जलनिकास का संकुलन,
- ग) पहाड़ी जलग्रहण क्षेत्रों वृहद मात्रा में स्खलन और भू-अपरदन के कारण नदी में अत्यधिक साद-भार जमा होना,

ब्रह्मपुत्र घाटी में मुख्यतः धान, सरकंड़े, दलिया, तिलहन, गेहूँ तथा गन्ना उगाया जाता है। धान और सरकंड़े खासकर उगाकर मानसून की अवधि के दौरान कटाई की जाती है। चार प्रकार के धान के बीजों में से, यथा- आहु, सालि, बाओ तथा बरों जो प्रायः 92% शष्य क्षेत्र में उगाया जाता है। पहले के दो - आहु और सालि सामान्यतः बाढ़ द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में (बराक सहित) बाढ़ के चलते 1953-2000 की अवधि के दौरान अधिकतम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र प्रायः 4.00 एम.एच.ए. के आसपास था। तटकटाव के कारण भूमि का स्थायी रूप से हुए नुकसान सहित बीज की क्षति और बाढ़ क्षति भी होती है। प्रत्येक बाढ़ के दौरान असंख्य जानें भी चली जाती हैं।

अभी तक ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ प्रबंधन पर अपनाए गए उपाय अधिकतर अल्पम्यादी संरचनात्मक हैं,

जैसे - तटबंधों का निर्माण, पारगम्य एवं अपारगम्य भुजारोध, प्रस्तरण आदि क्षेत्र - विशिष्ट मात्र है। प्रबंधन उपायों के कमजोर रखरखाव के कारण सामान्यतः बाढ़ प्रबंधन संरचना में बाढ़ आक्रांत लोगों की असफलता की स्थिति अनपेक्षित रूप से कष्टकर है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में विशिष्ट रूप से इन उपायों की प्रभावोत्पादकता जो विभिन्न अभिगमों में बहुत ही एग्रेडिंग / डिग्रेडिंग होना एक विवाद का भी विषय है। ऐसे में, अन्य संरचनात्मक और असंरचनात्मक उपायों को मिलाकर भण्डारण जलाशय के निर्माण की जरूरत है। तदन्तर, वैज्ञानिक उपस्कर के जरिए नदी की गतिविधियों के अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया जा सकेगा। ब्रह्मपुत्र उप बेसिन के लिए तैयार किए गए मास्टर योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की भी जरूरत है। पूर्वोत्तर में बाढ़ प्रबंधन के लिए गठित क्षेत्रीय टास्क फोर्स-बी ने भी अपनी रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है जिसे समयबद्ध तरीके से तत्काल कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र की मुख्य शाखा और इसकी 39 उपनदियों तथा माजुली द्वीप के लिए बाढ़ प्रबंधन, तटकटाव नियंत्रण तथा जलनिकास संकुलन के सुधार के लिए मास्टर योजनाएँ तैयार की है।

1.1.2 बराकघाटी

बराक नदी गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की दूसरी बड़ी नदी है जिसकी आठ उपनदियाँ हैं। यह नागालैण्ड में मणिपुर की दक्षिणी चढ़ाई मौथाना की पूर्वी दिशा में प्रायः 2840 मीटर एक ऊँची पहाड़ी से निकलती है। यह उपबेसिन तीनों तरफ से बराइल, पाटकाई और लुसाई पहाड़ियों से घिरी है। भारत-बांगलादेश



सीमा तक उप बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र 42,474 कि.मी. है जिनमें से 751 वर्ग कि.मी. म्यांमार में है। बदरपुर घाट पर भारतीय जलग्रहण क्षेत्र से इसका वार्षिक बहाव 29,600 क्यूबिक मीटर है। अपने स्रोत से कछाड़ जिले के सीमा तक नदी की लम्बाई 532 कि.मी. है जिसके बाद बराक सुरमा और कुशियारा के नाम से दो शाखाओं में विभक्त हुई है। दोनों शाखाएँ बांग्लादेश में प्रविष्ट होती हैं तथा फिरसे एकक नदी कैनल के रूप में युक्त होकर भैरब बाजार तक बहती है जहाँ यह बांग्लादेश में मेघना से जाकर मिलती है। बराक नदी अपने दोनों तटों से असंख्य पहाड़ी झरनों से संयुक्त है। इस घाटी में अक्सर बाढ़ आता है तथा जनजीवन और सम्पत्तियों की अत्यधिक हानि करता है। बाढ़, तटकटाव और जलनिकास संकुलन की समस्याओं के प्रबंधन के लिए समय - समय पर लिए गए विभिन्न उपायों में तटबंधों का निर्माण, तट प्रतिरक्षण तथा जलनिकास सुधार कार्य आदि शामिल हैं। इन उपायों से घाटी में नागरिकों को सामान्य तथा मध्यम दर्जे के बाढ़ों से पर्याप्त हिफाजत मुहैया हो जाता है। उच्चतम बाढ़ के समय तटबंध और तटकटावपूर्ण अभिगम (रीचेस) गहरे दबाव के आगे टिक नहीं पाते, फलतः असंख्य दरारें पड़ जाती हैं जिसके चलते घाटी में विध्वंस बाढ़ की सृष्टि हो जाती है। बाढ़, तटकटाव और जलनिकास संकुलन आदि से निपटने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बराक उप बेसिन और बराक की एक मुख्य उपनदी धलेश्वरी के लिए मास्टर योजना तैयार की है।

1.1.3 त्रिपुरा की नदियाँ

त्रिपुरा राज्य में आठ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये नदियाँ राज्य में प्रायः बाढ़ उत्पन्न होने के कारक हैं। राज्य सरकार और विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों के अन्वेषण तथा आँकड़े संग्रहण के आधार पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने इन

सभी नदियों के लिए मास्टर योजनाएँ तैयार की है और इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। बाढ़ समस्या, तटकटाव नियंत्रण और सिफारिश लायक जलनिकास संकुलन से निपटने के उपाय के रूप में मास्टर योजना में बहुत से संरचनात्मक तथा असंरचनात्मक पहलुओं को संजोया गया है।

1.2 बोर्ड कार्यालय की स्थापना और इसके कार्य

ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है जिसे संसद के एक अधिनियम (1980 का 46) के अंतर्गत तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अभी जल संसाधन मंत्रालय के नाम से पुनर्नामित) के अधीन गठित किया गया था। बोर्ड के अधिकार-क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र एवं बराकघाटी तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्य तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पड़नेवाले सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल का एक भाग शामिल है। बोर्ड में कुल 21 सदस्य हैं जिनमें से 4 पूर्णकालिक और 17 अंशकालिक सदस्य हैं और वे पूर्वोत्तर के सात राज्यों, पूर्वोत्तर परिषद संबंधित मंत्रालयों, जैसे- जल संसाधन मंत्रालय, कृषि, वित्त, विद्युत तथा भूतल परिवहन और भारत सरकार के विभागों, जैसे - केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय मौसमविज्ञान विभाग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। (4) की उपधारा (3) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ड) की धारा के अधीन नियुक्त बोर्ड के सदस्यों की सूची **अनुबंध - I** में है। डोनियर (पूर्वोत्तर विकास विभाग) मंत्रालय के बन जाने से और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के भीतर सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल का एक भाग शामिल किए जाने से डोनियर का एक प्रतिनिधि, सचिव, आइ एंड एफ सी डी, सिक्किम, सचिव, आइ एंड डब्ल्यू विभाग, पश्चिम बंगाल, मुख्य अभियंता (बी एंड बीबी), केन्द्रीय जल आयोग, शिलांग तथा सलाहकार (पू. क्षे.) योजना



आयोग को बोर्ड बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जाता है।

गुवाहाटी में मुख्यालय बनाकर बोर्ड ने 11-01-1982 से कार्यारंभ किया। ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम (3) के उप नियम (2) के अनुसरण में बोर्ड ने नई दिल्ली में संपर्क कार्यालय की स्थापना की।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को अध्यक्ष के रूप में, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों, केन्द्रीय मंत्री, वित्त, परिवहन, बिजली, कृषि राज्य मंत्रियों को सदस्यों के रूप में और अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सदस्य-सचिव के रूप में लेकर एक हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड बनाया गया था। केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (आरएम) इस बोर्ड के स्थायी आमंत्रित हैं। संकल्प सं. 2(17)/ 80-एफसी/460 दिनांक 19-03-1982 और यथासंशोधित संकल्प सं. 23/8/925-ई आर दिनांक 1-10-1992 के जरिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड के सदस्यों की सूची **अनुबंध-II** में है।

1.2.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यकलाप

अधिनियम में निर्धारित ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रमुख कार्यकलाप हैं:

- i) ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वेक्षण, अन्वेषण करना और बाढ़ नियंत्रण, तटकटाव तथा जलनिकास सुधार तथा उससे संबंधित कार्यकलापों के लिए मास्टर योजना तैयार करना,
- ii) ब्रह्मपुत्र घाटी के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में अथवा उन क्षेत्रों से संबंधित भिन्न मामलों के संदर्भ में और जबजब ऐसा करने की आवश्यकता पर

विचार किया जाए तो खंडों में मास्टर योजना तैयार करना एवं मास्टर योजनाओं में अथवा उसके या किसी भी खंड का संशोधन करना

- iii) सिंचाई, जलविद्युत, नौवहन तथा अन्य लाभकारी उद्देश्य हेतु ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधनों की उपयोगिता और विकास के लिए मास्टर योजना की तैयारी,
- iv) संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके मास्टर योजना/ संशोधित मास्टर योजना को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना तथा उनके द्वारा ठीक समझे जानेवाले आशोधनों सहित अनुमोदन करना,
- v) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर योजना में बाँधों तथा अन्य परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन तैयार करना और प्रत्येक मामले में विभिन्न उद्देश्यों या प्रयोगों पर आनेवाली लागतें बताना,
- vi) वैसे बाँधों तथा अन्य परियोजनाओं का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मानदंड एवं विशिष्टियाँ तैयार करना,
- vii) केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ बहुप्रयोजनी बाँध एवं मास्टर योजना में यथा-प्रस्तावित केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बहुप्रयोजनी बाँधों एवं उनसे संबद्ध कार्यों का निर्माण करना तथा उक्त बाँधों तथा कार्यों का अनुरक्षण और प्रचालन करना,
- viii) उपर्युक्त (vii) में संदर्भित के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित मास्टर योजना में प्रस्तावित सभी बाँधों व अन्य परियोजनाओं के राज्य सरकार द्वारा निर्माण के लिए संबंधित



- राज्य सरकार से परामर्श करके चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करना,
- ix) बोर्ड जब तक आवश्यक समझे तब तक कोई बाँध या परियोजना का रखरखाव तथा प्रचालन कर सकता है,।
- x) उपर विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित वैसे अन्य कार्य करना जो इसके अनुपूरक, आनुषंगिक या अनुवर्ती हो।

1.3 बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2006-2007 के दौरान बोर्ड की 2 बोर्ड बैठक

(45 वीं तथा 46वीं) हुईं। 45वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11.06.2007 को ईटानगर में हुई और 46वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2008 को गुवाहाटी में हुई। किन्तु गणपूर्ति न बनने से उक्त 45 वीं बोर्ड बैठक स्थगित हुई और उक्त 45 वीं बोर्ड बैठक (स्थगित) दिनांक 20.09.2007 को गुवाहाटी में हुई।

1.4 बोर्ड की सांगठनिक व्यवस्था

बोर्ड की विद्यमान सांगठनिक व्यवस्था का चार्ट अनुबंध-III में प्रदर्शित है।



अध्याय - II

सामान्य समीक्षा

2.1 प्रशासन तथा संगठन

बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय वशिष्ठ, गुवाहाटी-29 में स्थित है।

- i. ब्रह्मपुत्र बोर्ड का सचिवालय,
- ii. मुख्य अभियंता (पी एवं डी) का कार्यालय,
- iii. मुख्य अभियंता (आई एवं डब्ल्यू) का कार्यालय,
- iv. अधीक्षक अभियंता, गुवाहाटी अन्वेषण परिमंडल का कार्यालय,
- v. कार्यपालक अभियंता, गुवाहाटी मंडल का कार्यालय।

मुख्य अभियंता, पागलादिया बाँध परियोजना का कार्यालय नलबारी, असम में स्थापित किया गया है।

सन् 1981-82 में बोर्ड के बनने पर बोर्ड ने दिहांग और सुवनसिरि परियोजना के अन्वेषण कार्य तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में जलमौसम विज्ञान नेटवर्क कार्य लिया था, साथ ही असम सरकार के तब के बाढ़ नियंत्रण विभाग से समग्र संरचना भी लिया था। उसी के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यप्रभारित कर्मचारी भी अधिक संख्या में बोर्ड में 1982 के दौरान आए थे।

दिहांग और सुवनसिरि परियोजनाओं पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा ब्रह्मपुत्र की मुख्य शाखा से संबंधित मास्टर योजना भाग-I के पूरा हो जाने के बाद सरकार द्वारा कार्यभार और कर्मचारियों की स्थिति

की समीक्षा की गई और तब भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सभी प्रतिनियुक्तियों को 'जैसा है जहाँ है' के आधार पर उनके मूल विभाग में 28.2.1989 तक प्रत्यावर्तित कर दिया गया। हालाँकि, बोर्ड के विभिन्न कार्यकलापों से जुड़े उक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वापस लेने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग सहमत नहीं हुआ और वे लगातार बोर्ड के कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में रहे। एन एच पी सी और निपको संगठनों में परियोजना के स्थानांतरित हो जाने के चलते उनमें से प्रायः 30% कर्मचारी एनएचपीसी और निपको में स्थानांतरित हुए।

31.3.2008 को विद्यमान स्वीकृत बल, भरे गए पद तथा नियमित फील्ड स्टाफ सहित अ.जा., अ.जा. जा. की स्थिति **अनुबंध-IV** में है।

2.2 वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

ब्रह्मपुत्र बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके कार्य और स्थापना के लिए सहायता अनुदान के जरिए निधि उपलब्ध करायी जाती है। बोर्ड के राजस्व तथा व्यय के मामलों में परामर्श देने तथा लेखाओं का प्रबंधन करने एवं अंतरिम लेखापरीक्षा संचालन करने के लिए बोर्ड के वित्तीय सलाहकार परामर्श आदि देते हैं। बोर्ड के वित्तीय स्कंध में उप वित्तीय सलाहकार तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी सहित संबंधित स्टाफ उन्हें इन कार्यों में सहयोग करता है। प्रत्येक फील्ड मंडल कार्यालयों में एक-एक विभागीय लेखाकार तैनात है जो लेखाओं का सही तरीके से



रखरखाव करने के साथ ही कार्यपालक अभियंता को वित्तीय मामलों में सुझाव आदि देते हैं। का वित्तीय स्कंध द्वारा मासिक/तिमाही आधार पर नियंत्रित किया जाता है।

मंडल कार्यालयों को दिए जाने वाले आवंटन एवं व्यय

अध्याय - III

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के फील्ड-इतर कार्यकलाप

3.1 अक्षम व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन (समान सुविधाएँ, अधिकारों का संरक्षण और समग्र भागीदारी) अधिनियम, 1995

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शारिरीक विकलांग वर्ग की भर्ती में तीन प्रतिशत कोटे को पूरा करने की प्रक्रिया के अधीन है। इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का आवधिक रिपोर्ट नियमित रूप से जल संसाधन मंत्रालय को भेजी जा रही है। अनाक्षित 3% पदों/रिक्तियों को (अस्थि-अक्षम, दृष्टिहीन, श्रवण विकलांग प्रत्येक के लिए, 1%) शारिरीक विकलांग वाले व्यक्तियों से भरे जाने के लिए आरक्षित हैं। शारिरीक विकलांग व्यक्तियों को

परीक्षा अथवा साक्षातकार में नियमानुसार सुविधाएँ छूट और राहत दी जाती है। सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट संबंधित रोस्टर का अनुरक्षण करते हुए अक्षम व्यक्तियों की आरक्षण की स्थिति प्रदर्शित की जाती है।

चूँकि, ब्रह्मपुत्र बोर्ड सीमित गैर तकनीकी स्टाफ का संगठन है। इसलिए इस मुद्दे के लिए, एक पृथक सेल बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। यद्यपि, स्थापना के अनुभाग अधिकारी को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड अक्षम व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पाद का उसके कार्यालयीन उपयोग के लिए जब जैसी जरूरत हो प्राथमिकता देता है और उसे बोर्ड प्राधिकारी के नजर में भी लाता है।

3% रिक्तियों के विपरीत 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणी के विभिन्न पदों में अक्षम व्यक्तियों की स्वीकृत संख्या तथा स्वीकृत पदों का विस्तृत विवरण

31.03.2008 को

क्र. सं.	पदों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	अक्षम व्यक्तियों की संख्या	अभ्युक्तियाँ
1	श्रेणी - क	81	1	सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है एक पद श्रेणी ख से प्रोन्नति पर भरा गया है।
2	श्रेणी - ख	106	शून्य	सीधी भर्ती और प्रोन्नति दोनों से प्रावधान विद्यमान है।
3	श्रेणी - ग	283	4	
4	श्रेणी - घ	157	4	
	कुल	627	9	



3.2 लिंग न्याय और यौन उत्पीड़न के लिए शिकायत समिति

महिलाओं पर किए गए यौन उत्पीड़न एवं उससे संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों पर विशाखा वर्सस राजस्थान सरकार तथा अन्य के मामले में 1992 के रीट आवेदन (क्रिमिनल सं.666-70 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में ऐसे मामले की देखरेख के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 31.12.97 से प्रभावी है। वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई। समिति को अभी

तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली हैं और उसने बोर्ड सचिवालय को कोई मामला अग्रेषित नहीं किया है।

3.3 सतर्कता और अनुशासनिक मामले

एक अंशकालिक मु.स. अधिकारी और एक सतर्कता अधिकारी को लेकर ब्रह्मपुत्र बोर्ड का एक सतर्कता स्कंध है। वर्ष के दौरान कोई भी मामला निपटाया नहीं गया। विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों और स्टाफ के संबंध में सतर्कता/ अनुशासनिक मामलों की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है :

सतर्कता और अनुशासनिक मामले का प्रदर्शित टेबल

क्र.सं.	विवरण	अधिकारी / स्टाफ की श्रेणी			
		'क' वर्ग	'ख' वर्ग	'ग' वर्ग	'घ' वर्ग
1	वर्ष के पहले विचाराधीन मामलों की संख्या	8	-	6	-
2	वर्ष के दौरान जोड़े गए मामले	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	5	शून्य	4	शून्य
4	वर्ष के अंतिम में विचाराधीन मामले	3	शून्य	2	शून्य

3.4 संगोष्ठी / सिम्पोजियम / कार्यशाला / प्रशिक्षण में भागीदारी

3.4.1 संगोष्ठी / सिम्पोजियम/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण आदि में भाग लेनेवाले अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची अनुबंध-V में प्रस्तुत है।

3.4.2 अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों की सूची अनुबंध-VI पर है।

3.5 हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

3.5.1 हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन :

राजभाषा के रूप में हिन्दी को आगे बढ़ाने और अधिकारियों/स्टाफ के बीच उत्साहजनक वातावरण सृष्टि करने के उद्देश्य से ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय, बशिष्ठ में दिनांक 14 सितम्बर, 2007 से 28 सितम्बर, 2007 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।



उक्त अवसर पर हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं, यथा-हिन्दी में टिप्पण लेखन, हिन्दी टंकण, हिन्दी में क्वीज, हिन्दी कविता आवृत्ति आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। सभी विजयी प्रतिभागियों को सांकेतिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर बोर्ड की परम्पराओं का निर्वाह करते हुए

हिन्दी के विशिष्ट विद्वान श्री जी.सी.डेका, विभागाध्यक्ष, गुवाहाटी कॉलेज को उनकी आजीवन हिन्दी सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया।

3.5.2 हिन्दी कार्यशालाएँ :

वर्ष के दौरान 5 (पाँच) हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनका विवरण निम्नलिखित है -

तिथि	कार्यालय	कार्यशाला घंटे	प्रतिभागियों की संख्या
22.03.2001	लखीमपुर मंडल	06 घंटे	21
28.06.2007	ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय	06 घंटे	10
10.08.2007	ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय	06 घंटे	09
07.01.2008	ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय	06 घंटे	08
03.03.2008	ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय	06 घंटे	06
		30 घंटे	54

3.5.3 राजभाषा निरीक्षण :

वर्ष के दौरान फील्ड कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेने के लिए

मुख्यालय स्तर से निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाई गई कमियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त सुझाव और मार्गदर्शन भी दिए गए।

क्र.सं.	कार्यालय	निरीक्षण-तिथि
1.	रंगिया मंडल, रंगिया	11.02.2008
2.	पागलादिया बाँध मंडल-II, नलबारी	11.02.2008
3.	नलबारी मंडल, नलबारी	11.02.2008
4.	पागलादिया बाँध मंडल-I नलबारी	11.02.2008
5.	नर्थ गुवाहाटी मंडल, नर्थ गुवाहाटी	13.02.2008
6.	लखीमपुर मंडल कार्यालय, नर्थ लखीमपुर	22.02.2008



3.5.4 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें (रा. का.स.) :

वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मु.) की 4 बैठकें क्रमशः 02.04.2007, 09.08.2007, 31.12.2007 और 12.02.2008 को महा प्रबंधक, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। बैठकों में मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई और उसके प्रभावी कार्यान्वयन लिए उपाय निकाले गए। नगावँ, नलबारी और लखीमपुर फील्ड कार्यालयों में भी उप समितियों की बैठकें आयोजित की गईं।

3.5.5 प्रोत्साहन योजनाएँ :

राजभाषा के रूप में हिन्दी को आगे बढ़ाने और कर्मचारियों का प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जारी सभी प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई गईं। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में टंकण कार्य करने पर एक कर्मचारी को रू. 960/- का प्रोत्साहन भत्ते के रूप में नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

3.5.6 मूल हिन्दी पत्राचार :

वर्ष के दौरान बोर्ड को हिन्दी मूल पत्राचार में पिछले वर्ष 38% की तुलना में 40% प्रगति प्राप्त हुई। भविष्य में मूल पत्राचार में वृद्धि करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

3.5.7 हिन्दी प्रशिक्षण :

बोर्ड ने हिन्दी न जाननेवाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाते हुए सफलता प्राप्त की है। बोर्ड में प्रशिक्षण पाकर कार्यसाधक ज्ञान हासिल करनेवाले कर्मचारियों का प्रतिशत 83% तक पहुँच गया है। अधिक से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण दिलाकर कार्य करने लायक बनाने के लिए प्रयास जारी है।

3.5.8 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकें :

वर्ष के दौरान नराकास की दो बैठकें दिनांक 18.7.2007 और 31.12.2007 को गुवाहाटी रिफाइनरी, नूनमाटी में आयोजित की गईं, जिनमें बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया।

3.5.9 हिन्दी के नोडल सहायकों (फील्ड) के लिए गहन प्रशिक्षण:

दिनांक 3 मार्च, 2008 को बोर्ड मुख्यालय में हिन्दी के नोडल सहायकों (फील्ड) का एक दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में तिमाही रिपोर्ट तैयार करने की विधि, समीक्षा करने की विधि पर प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षण में फील्ड के 6 (छह) उ.श्रे.लिपिकों ने भाग लिया।

3.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने नवंबर, 2007 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। उक्त समारोह में सभी लोगों ने भाग लिया और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

3.7 सिटिजन्स चार्टर का सूत्रीकरण

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का सिटिजन चार्टर तैयार किया गया है जिसे कार्यलय के वेबसाइट www.brahmaputraboard.org में अपलोड किया गया है।

3.8 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय के पत्र सं. 31/15/04 आइटी/बी एण्ड बी /200 दिनांक 22.12.2005 के अनुसरण में, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में दिनांक 31.12.2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के शुभारंभ करने के पश्चात अधिनियम के के प्रयोग और कार्यान्वयन के भाग के रूप में ब्रह्मपुत्र बोर्ड से संबंधित सभी संगत सूचनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अपनी वेबसाइट (www.brahmaputraboard.org) में

अधिसूचित कर प्रकाशित कर दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान और निर्देशों की अनुपालना में वेबसाइट की सूचनाएँ समय-समय पर अद्यतन की जा रही हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के संबंध में सूचना के लिए प्राप्त अनुरोध समूह **अनुबंध-VII** में हैं।

अध्याय - IV

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के फील्ड से संबंधित कार्यकलाप

4.1 मास्टर योजना की तैयारी एवं सर्वेक्षण तथा अन्वेषण की प्रगति की समीक्षा, जलनिकास विकास स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं का डी पी आर।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने तीन भागों में ब्रह्मपुत्र तथा बराक प्रणाली की मुख्य शाखा के साथ ही क्षेत्र की 55 प्रमुख उपनदियों की चालित मास्टर योजना की तैयारी का कार्य लिया है।

4.1.1 मास्टर योजनाओं की तैयारी

मास्टर योजनाएँ सामान्य संरचनात्मक उपायों के अतिरिक्त बाढ़ प्लावित क्षेत्र से समय पर लोगों और चल सम्पत्तियों के हटाने के लिए वाटरशेड प्रबंधन, फ्लड प्रुफिंग, उँचे मचान का निर्माण, बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी उपायों, जैसे - अंसरचनात्मक उपायों का सुझाव देती हैं। ऐसे उपाय जान-माल की सुरक्षा और क्षतियों को कम करने में उच्चतम बाढ़ के दौरान उपयोगी होंगे।

भाग-I : ब्रह्मपुत्र की मुख्य शाखा पर मास्टर योजना

भाग-II: बराक नदी तथा उसकी उपनदियों पर मास्टर योजना

भाग-III: ब्रह्मपुत्र की उपनदियों तथा त्रिपुरा की नदियों सहित माजुली द्वीप पर मास्टर योजना

मास्टर योजना की स्थिति निम्नवत है :

क)	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित	36
ख)	बोर्ड द्वारा अनुमोदित और ज.स.मंत्रा. को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत	6
ग)	सम्पूर्ण और परिचालित करने को तैयार	2
घ)	तैयारी/ संशोधनाधीन	7
ड)	सर्वेक्षण और अन्वेषणाधीन	6

4 मास्टर योजनाओं, यथा-बेकी-मानस-आइ, ब्रह्मजान और धनसिरि (उत्तर) और बरनदी को, मार्च, 2008 तक पूरा करना लक्षित है। इनमें से बरनदि और धनसिरी (उत्तर) पूरे हो चुके हैं। बेकी - मानस - आइ और ब्रह्मजान सहित अन्य 4 मास्टर योजनाएँ - सोनकोश, बरगांग और टिपकाइ तथा

टांगनी मार्च, 2009 तक पूरा करना लक्षित है। विस्तृत विवरण अनुबंध-VIII में है।

4.1.2 जलनिकास विकास योजनाएँ :

ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में 34 जलनिकास संकुलित क्षेत्रों की पहचान की गई है। परवर्ती समय में ब्रह्मपुत्र बेसिन में 7 और भी जलनिकास संकुलित क्षेत्रों की



पहचान कर ली गई है। इस प्रकार, जलनिकास संकुलित क्षेत्रों की कुल संख्या 41 हो गई है।

जलनिकास विकास स्कीमों (ज.नि.वि) की स्थिति निम्नलिखित है :

क)	डी पी आर सम्पूर्ण		20
1.	कार्य-निष्पादनाधीन	9	
2.	के.ज.आ. द्वारा डी पी आर क्लीयर	1	
3.	परीक्षण के लिए के.ज.आ. के अधीन डी पी आर	2	
4.	आगे और अधिक संशोधन के अधीन डी पी आर	7	
5.	राज्य सरकार को सौंपी गई स्कीम डी पी आर	1	
ख)	डी पी आर सर्वेक्षण और अन्वेषणाधीन		21

जलनिकास विकास स्कीम के लिए 4 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, यथा-धर्मनगर, मरा डिक्रंग, बट्टी और दिमौ ज.नि.वि.स्कीम का कार्य 2007-08 के दौरान पूरा करना लक्षित था। धर्मनगर और दिमौ ज.नि.वि.स्कीम वर्ष 2007-08 के दौरान पूरा हुआ। पश्चिम बरपेटा, मरा डिक्रंग, बट्टी, सेस्सा सोनाई, पोला, घग्गा ज. नि.वि. स्कीम का डीपीआर 2008-09 के दौरान पूरा करना लक्षित है।

विभिन्न जलनिकास विकास योजनाओं के संबंध में वर्ष के दौरान चलाए गए कार्यकलाप और प्राप्त की गई प्रगति की उपलब्धि इस प्रकार हैं:

1. **अमजूर ज.वि.स्कीम-** भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन आवश्यक अधिसूचना के लिए प्रक्रिया के अधीन है। के.ज. आ. से 3 डिजाइन आरेखण प्राप्त।
2. **रुद्रसागर ज.वि.स्कीम-** जुलाई, 2006 के दौरान के.ज.आयोग से तकनीकी क्लियरेंस प्राप्त। इएसएफसी क्लीयरेंस

मिलना बाकी है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने डीपीआर के कुछ प्रावधानों पर चुप्पी साधी है।

3. **जकाईचुक ज.वि.स्कीम-** आइ.आइ.टी, गुवाहाटी से प्राप्त खरखरीजान और मितोंग के कनफ्लूएंस के स्लूइस रेग्युलेटर का निर्माण आरेखण प्राप्त।
4. **जेंग्राई ज.वि.स्कीम-** जेंग्राई ज.वि.स्कीम का 30% कार्य इतिपूर्व पूरा कर लिया गया है और इसे 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। आईआईटी, गुवाहाटी से तैयार किया गया निर्माण आरेखण वर्तमान मुख्य अभियंता (आइ एवं डब्ल्यू), ब्रह्मपुत्र बोर्ड की संवीक्षा के अधीन है।
5. **इस्ट ऑफ बरपेटा ज.वि.स्कीम-** संरनात्मक वर्किंग डिजाइन सम्पूर्ण।



6. **डिमौ ज.वि.स्कीम-** के.ज.आ. के पर्यवेक्षण के उपर कार्य किया जा रहा है। के. ज.आ. को डीपीआर प्रस्तुत।
7. **धर्मनगर ज.वि.स्कीम-** के.ज.आ. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार डीपीआर की तैयारी का कार्य पूरा तथा उसे के. ज.आ., नई दिल्ली को प्रस्तुत।
8. **बद्री ज.वि.स्कीम-** डी पी आर पर के.ज.आ द्वारा दिए गए पर्यवेक्षण/ टिप्पणी का 69% अंश का कार्य किया गया है।
9. **मराडिक्रंग ज.वि.स्कीम-** 78% डीपीआर की तैयारी का काम सम्पूर्ण।
10. **सेरसा ज.वि.स्कीम-** डीपीआर पर के.ज.आ. द्वारा दी गई टिप्पणियों के उपर 64% अंश का कार्य किया गया है।
11. **वेस्ट ऑफ बरपेटा ज.वि.स्कीम-** के. ज.आ. द्वारा अग्रेषित किए गए पर्यवेक्षण के ऊपर 25% अंश का काम किया गया है।
12. **रंगसाई ज.वि.स्कीम-** डीपीआर तैयारी में 20% की प्रगति।
13. **सोनाई ज.वि. स्कीम-** डीपीआर तैयारी में 30% की प्रगति।
उपर्युक्त स्कीमों की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध-IX** पर है।

4.1.3 बहुप्रयोजनी परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण

बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन तथा मेघालय में दक्षिणी प्रवाहित नदियों में 14 बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य लिया है।

स्थिति निम्नलिखित है :

क)	डीपीआर सम्पूर्ण	
1.	सियांग बांध परियोजना	एन एच पी सी को हस्तांतरित
2.	सुबनसिरी बांध परियोजना	एन एच पी सी को हस्तांतरित
3.	तिपाइमुख बांध परियोजना	निपको को हस्तांतरित
4.	पागलादिया बांध परियोजना	ब्रह्मपुत्र बोर्ड
5.	बैरबी बांध परियोजना	मिजोरम सरकार को हस्तांतरित
ख)	डीपीआर आंशिक रूप से सम्पूर्ण	
	दिबांग बांध परियोजना	एन एच पी सी को हस्तांतरित



परियोजना के किए जा रहे सर्वेक्षण, अन्वेषण और डीपीआर तैयारी का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :

लोहित बांध परियोजना: अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिला मुख्यालय के तेजू शहर के 80 कि.मी. अनुप्रवाह के मोम्पानी में प्रस्तावित बांध स्थल स्थित है। इस परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य दिसम्बर, 1996 में शुरू किया गया था। परियोजना का प्रतिस्थापित क्षमता 2500 मेगावाट प्राक्कलित है। परियोजना के डीपीआर को पूरा करने का लक्ष्य मार्च, 2009 है।

वर्तमान स्थिति :

- क) स्थलाकृतिक सर्वेक्षण पूरा।
- ख) भूविज्ञानीय अन्वेषण-ड्रिलिंग 95% और ड्रीफ्टिंग 20% पूरा।
- ग) के.ज.आ की टिप्पणियों के अनुसार जल उपलब्धता अध्ययन संशोधनाधीन है।
- घ) परामर्श आधार पर के.ज.आ. को बाढ़ डिजाइन अध्ययन सौंपा गया है।
- ङ) आनुमानिक विद्युत उपज अध्ययन चलाया गया है।
- च) निर्माण-सामग्री अध्ययन पूरा।
- छ) इआइए और आरआर रिपोर्ट अंतिम चरण में है। इएमपी रिपोर्ट का काम आरंभ।

लोहित बांध के संबंध में चल रहे प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं-

1. जल उपलब्धता अध्ययन।
2. प्रारम्भिक डिजाइन बाढ़ अध्ययन।
3. प्रारम्भिक विद्युत उपज अध्ययन।

ii) किन्सी चरण-I बहुप्रयोजनी परियोजना:

किन्सी (जादुकाटा) चरण-I के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण

का कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा जनवरी, 1997 के दौरान लिया गया था। मेघालय के वेस् खासी हिल्स जिले के उप मंडल मुख्यालय नंगसस्टेन से 29 कि.मी. दूर स्थित नंग्माओपोंग के पास परियोजना-स्थल अवस्थित है। किन्सी (जादुकाटा) चरण-I परियोजना का प्रतिस्थापित क्षमता 460 मे.वा. प्राक्कलित है और बाँध की ऊँचाई 146 मी. है। इस परियोजना के डी पी आर के पूरा करने के लिए लक्षित समय है मार्च, 2009.

वर्तमान स्थिति :

- क) स्थलाकृतिक सर्वेक्षण पूरा।
- ख) भूविज्ञानीय अन्वेषण पूरा।
- ग) के.ज.आयोग द्वारा जलविज्ञानीय अध्ययन प्रारंभिक रूप से अनुमोदित
- घ) परियोजना का व्यवहार्य-पूर्व रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है।
- ङ) कुछ ड्रिलिंग और ड्रिफ्टिंग स्थलों के अतिरिक्त प्रायः सभी क्षेत्र-अन्वेषण का कार्य पूरा।
- च) डीपीआर तैयारी का संरचना तैयार
- छ) परियोजना की रूपरेखा को अनंतिम रूप दिया गया।
- ज) निर्माण-सामग्री अध्ययन पूरा।
- झ) जल उपलब्धता अध्ययन पूरा।
- ञ) के.ज.आयोग द्वारा पीएमएफ / डिजाइन फ्लड का पुनरीक्षण।
- ट) इ आइ ए और आर आर रिपोर्ट अंतिम चरण में। इ एम पी रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रारंभ।

iii) कुलसी बहुप्रयोजनी परियोजना :

असम-मेघालय सीमा के कामरूप जिले में यूकियम नामक सीमावर्ती गाँव के प्रायः 1.50 कि.मी. प्रतिप्रवाह में परियोजना स्थल है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 1997 में कुलसी बहुप्रयोजनी परियोजना के अन्वेषण और सर्वेक्षण का



कार्य लिया था। इस परियोजना का प्रतिस्थापित क्षमता 29 मे.वा. प्राक्कलित है। परियोजना का डी पी आर पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2008 है।

वर्तमान स्थिति :

- क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल विज्ञानीय कार्य का सिलसिलेवार पुनरीक्षण।
- ख) अभिकल्पित बाढ़ अध्ययन तैयार और बोर्ड द्वारा प्रस्तुत। के.ज. आयोग की टिप्पणियों पर कार्रवाई की जा रही है।
- ग) परियोजना की रूपरेखा को अनंतिम रूप देने का कार्य पूरा।
- घ) परियोजना के लिए विद्युत उपज का विस्तृत अध्ययन सम्पूर्ण तथा उसे केन्द्रीय जल आयोग, के.वि.प्रा को पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत। सीइए द्वारा दूसरे सेट के रूप में दिए गए पर्यवेक्षणों पर काम करके फिर से जमा। उत्तर प्रतीक्षित।
- ङ) भू-विज्ञानीय अन्वेषण सम्पूर्ण।
- च) निर्माण-सामग्री के लिए सर्वेक्षण सम्पूर्ण। बाँध की रूपरेखा तथा एपरटिनांट गया कार्य को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त रूप से दौरे का काम चलाया गया।
- छ) इ आइ ए और आर आर रिपोर्ट अंतिम चरण में। इ एम पी रिपोर्ट का कार्य आरंभ।
- ज) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बाँध की अभिकल्पना तथा एपरटिनांट ढाँचे का कार्य चलाया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित प्रायः आँकड़े तथा नक्शे इतिपूर्व प्रस्तुत। कुलसी बाँध परियोजना के संबंध में चलाए गए मुख्य

कार्यकलाप एवं प्राप्त उपलब्धि का विवरण निम्नलिखित है :

- क) सीइए के परामर्श के अनुसार विद्युत उपज अध्ययन को अद्यतन किया गया और पूरा होने पर उसे सीइए को प्रस्तुत किया गया।

iv) नोआ दिहिंग बाँध परियोजना :

अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मियाउ शहर के प्रायः 4 कि.मी. अनुप्रवाह में परियोजना स्थल अवस्थित है। इस परियोजना के लिए अन्वेषण का काम सन् 1996 में आरंभ हुआ था। परियोजना का प्रतिस्थापित क्षमता 75 मे.वा.प्राक्कलित है। इस परियोजना का डी पी आर पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर, 2008 है।

वर्तमान स्थिति :

- क) केन्द्रीय जल आयोग के पास पुनरीक्षण के लिए जलविज्ञानीय अध्ययन प्रस्तुत, टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं और उन पर कार्रवाई चल रही है।
- ख) सभी स्थलाकृतिक नक्शा तैयार हो गए हैं।
- ग) भू-विज्ञानीय अन्वेषण सम्पूर्ण।
- घ) बाँध की रूपरेखा, स्पिलवे, विद्युत-गृह और हैड-रेग्यूलटर का कार्य सम्पूर्ण।
- ङ) इ आइ ए और आर आर रिपोर्ट अनंतिम चरण में। इ एम पी रिपोर्ट का काम प्रारंभ।
- च) जल उपलब्धता और पी एम एफ डिजाइन बाढ़ का कार्य के.ज.आ. के पास संवीक्षा में।



v) सिमसांग बहुप्रयोजनी परियोजना :

मेघालय के इस्ट गारो हिल्स के तहत नांगलबिब्रा टारुनशिप के पास रोंखांदी सिमसांग नदी पर सिमसांग बाँध परियोजना का अवस्थान है। परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा सन् 1997 के अंतिम भाग लिया गया। इस परियोजना का प्रतिस्थापित क्षमता 65 मे.वा. प्राक्कलित है। परियोजना के डी पी आर पूरा करने का लक्ष्य जून, 2010 है।

वर्तमान स्थिति :

- क. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण सम्पूर्ण।
- ख. व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट तैयार।
- ग. बाँध स्थल के भू-विज्ञानीय अन्वेषण 87% पूरा।
- घ. वाटर कंडक्टर प्रणाली, विद्युत-गृह की रूपरेखा को अनंतिम रूप देने के कार्य प्रक्रिया में।
- ङ. इ आइ ए और आर आर रिपोर्ट प्रारंभ।
- च. निर्माण-सामग्री का सर्वेक्षण पूरा।

vi) जीयाधल बाँध परियोजना:

जीयाधल बाँध परियोजना असम-अरुणाचल सीमा क्षेत्र में स्थित जीयाधलमुख से प्रायः 5 कि.मी. प्रतिप्रवाह में अवस्थित है। इस परियोजना का अन्वेषण कार्य नवंबर, 2002 में लिया गया था। परियोजना का प्रतिस्थापित क्षमता 35 मे.वा. प्राक्कलित है। इस परियोजना के डी पी आर पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर, 2009 है।

वर्तमान स्थिति :

- क) संयुक्त निरीक्षण का कार्य सम्पूर्ण।
- ख) भा.स.वि. द्वारा परियोजना स्थल पर सर्वेक्षण किया गया।

- ग) दो विकल्प स्थलों पर ड्रिलिंग कार्य सम्पूर्ण।
- घ) बाँध क्षेत्र का कोंटूर नक्शा तैयार।
- च) विकल्प रूपरेखा का प्लान तैयार और बाँध स्थल के अंतिम रूप से चयन का कार्य प्रक्रिया में।
- द) इ आइ ए और आर आर रिपोर्ट तैयारी का काम आरंभ।

vii) किलिंग बाँध परियोजना :

परियोजना स्थल असम-मेघालय सीमा क्षेत्र में अवस्थित है। इस परियोजना का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा नवंबर, 2003 में शुरू किया गया था। परियोजना का प्रतिस्थापित क्षमता 240 मे.वा. है। इस परियोजना का डी पी आर पूरा करने का लक्ष्य मार्च, 2011 है।

वर्तमान स्थिति :

- क) बोर्ड द्वारा बाँध स्थल का शिनाख्त कर लिया गया।
- ख) केन्द्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और भा.भू. सर्वेक्षण का संयुक्त दौरा पूरा।
- ग) प्रारंभिक रिपोर्ट सहित प्रारंभिक विद्युत उपज संबंधी अध्ययन सम्पूर्ण।
- घ) संयुक्त निरीक्षण दल की सिफारिश के अनुसार अन्वेषण कार्य प्रारंभ।

किलिंग बाँध परियोजना के संबंध में मेघालय सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र उठा लिए जाने से प्रमुख कार्यकलाप रुके हुए हैं।

viii) किन्सी चरण-II बहुप्रयोजनी परियोजना किन्सी चरण-II बाँध स्थल मेघालय में अवस्थित है। पूर्वोत्तर



परिषद के अनुरोध पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा नवंबर, 2003 में 'किन्सी चरण-II के सर्वेक्षण और अन्वेषण' कार्य प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना का प्रतिस्थापित क्षमता 250 मे.वा. है। परियोजना का डी पी आर पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर, 2010 है।

वर्तमान स्थिति :

- क) स्थलाकृतिक सर्वेक्षण पूरा।
- ख) भूविज्ञानीय अन्वेषण - ड्रिलिंग का 40% कार्य सम्पूर्ण।
- ग) वाटर कंडक्टर प्रणाली और पावर हाउस की रूपरेखा का कार्य प्रगति पर।
- घ) निर्माण सामग्री अध्ययन-कोर्स अनुपात पर पूरा।
- ङ) इ आइ ए इ एम पी अध्ययन शुरू।

विस्तृत विवरण अनुबंध - X में है

4.1.4 पूर्वोत्तर जलीय एवं संबद्ध गवेषणा संस्थान (निहारी)

असम समझौते के परिणाम स्वरूप रूद्रेश्वर (नर्थ गुवाहाटी) में पूर्वोत्तर जलीय एवं संबद्ध गवेषणा संस्थान (निहारी) की स्थापना की गई, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएँ हैं :

i) 4 (चार) मॉडल ट्रे और फ्ल्यूम्स की सुविधा सहित जलीय प्रयोगशाला

ii) सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाएं -

क) मृदा (ख) कंक्रीट और (ग) निर्माण सामग्री तथा फाउंडेशन शिला

वर्ष 1996 के दौरान कुल 14.00 करोड़ लागत से निहारी का प्रचालन शुरू किया गया। अभी तक निहारी ने उत्तर पूर्वांचल के परियोजना प्राधिकारियों/विभिन्न

संगठनों द्वारा किए गए माँगों के अनुसार मृदा, कंक्रीट और शिला के नमूनों तथा 3 भौतिक मॉडल अध्ययनों का परीक्षण किया है।

चूँकि, उत्तर पूर्वांचल में एक सीमित अवधि (अक्तूबर से मार्च) के लिए साफ मौसम उपलब्ध रहता है। अतः भौतिक मॉडल अध्ययन का स्कोप भी सीमित हो जाता है। इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए मॉडल ट्रे के ऊपर दो हैंगर्स का निर्माण-कार्य प्रक्रिया के अधीन है। निहारी ने देश के दो अग्रणी संस्थान, यथा-केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र (सी डब्ल्यू पी आर एस) और केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र (सी एस एम आर एस), नई दिल्ली का कार्य में सहयोग प्राप्त किया है।

वर्तमान निहारी में (त) दीर्घम्यादी समाधान के सुझाव के लिए माजुली द्वीप और (त्त) चौकीघाट के जीयाभराली के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग -52 के सड़क-पुल की सीध को तय करने के लिए मॉडल अध्ययन पूरे हो गए हैं।

4.2 निर्माण कार्यकलाप

4.2.1 हरांग जलनिकास विकास स्कीम :

यह स्कीम बदरपुर के समीप बांग्लादेश सीमा पर बराकघाटी में स्थित है। इस स्कीम में दो स्लूइसों, बराक (सुरमा) नदी के आर-पार तटबंध, विद्यमान कैनलों के रि-सेक्शनिंग और तटबंध-सह ग्राम-सड़क से सड़क को मजबूत और ऊपर उठाकर बनाना अंतर्भूत है।

इस स्कीम के जरिए 11,800 है. क्षेत्र का जलनिकास संकुलन हट जाएगा। स्कीम के संशोधित प्राक्कलित लागत है रु. 30.49 करोड़। वर्तमान तक 97% प्रगति हुई है और शेष कार्य 2008-09 के दौरान पूरा करना अपेक्षित है। कार्य का एक आंशिक भाग जिसका नाम -



बराक (सुरमा) नदी के आरपार तटबंध है, को इतिपूर्व दिनांक 4.4.2005 को असम सरकार को सौंप दिया गया। रि-सेक्शनिंग कार्य इतिपूर्व पूरा हो गया है। किन्नरखाल स्लूइस के गेट का कार्य इतिपूर्व पूरा हो गया है। काक्राखाल स्लूइस के गेट को फेब्रिकेट किया गया है। हॉस्टिंग व्यवस्था करना बाकी है। ठेकेदार की असफलता के कारण उक्त कार्य को ठेकेदार से रद्द कर लिया गया है और वर्तमान शेष कार्य काक्राखाल स्लूइस के साथ-साथ सड़क-सह-तटबंध का नए ठेकेदार को प्रदान करने की प्रक्रिया की जा रही है।

4.2.2 पागलादिया बाँध परियोजना

असम के बीटीएडी (बोडोलैण्ड टेरिटोरियल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट) के अधीन बाक्सा जिले के थालकुची में पागलादिया नदी पर बनने वाली परियोजना का आशय 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ राहत, 54,160 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तथा 3 मेगावाट आनुषंगिक विद्युत उत्पादन करने का है। परियोजना में 25 मी. उँचा, 21 कि.मी. लम्बा कांक्रीट स्पीलवे सहित मिट्टी के बाँध का निर्माण निहित है। भारत सरकार ने जनवरी, 2001 में रु. 542.90 करोड़ प्राक्कलित लागत पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निर्माण किए जाने के लिए पागलादिया परियोजना की मंजूरी दी थी।

★ किए गए कार्य (वर्ष 2001 से)

निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण, अन्वेषण, अध्ययन, डिजाइन, ड्राइंग आदि।

- पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एंड आर), प्रयोजन के लिए 956 है. भूमि का अधिग्रहण
- परियोजना सड़कों, कार्यालयों आदि का निर्माण। - तकनीकी विशिष्टियाँ और

निविदा दस्तावेज की तैयारी

- मुख्य कार्यों के लिए ठेकेदारों की पूर्व-अर्हता

परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन की शुरुआत असम राज्य सरकार द्वारा किए जानेवाले कार्यकलापों पर निर्भर हैं, ये हैं - (पुनर्वास और पुनर्स्थापना आर एंड आर) योजना के अंतिम रूप देने के लिए परियोजना से प्रभावित परिवार (पी ए एफ) का जिराट सर्वेक्षण (सम्पत्ति का मूल्यांकन) और (पप) परियोजना निर्माण के लिए और आर एंड आर के लिए भूमि आवंटन / अधिग्रहण। किंतु परियोजना से प्रभावित होनेवाले लोगों के एक समूदाय द्वारा हठ किए जाने के चलते ये दो कार्यकलाप चलाए नहीं जा सके। इस मुद्दे को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा असम सरकार के साथ विभिन्न स्तर पर उठाया गया। वर्ष 2005 के दौरान असम सरकार ने जिराट सर्वेक्षण आदि के पूरा न होने से संबंधित बकाए मुद्दों के समाधान और परीक्षण के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अन्तर्वार्ता की और उक्त मुद्दे के समाधान के लिए बोडोलैण्ड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के प्राधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। बीटीसी ने औपचारिक रूप से सन 2006 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सूचित किया कि परियोजना पर उनकी कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा जिराट सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया है।

जिराट सर्वेक्षण को तत्काल पूरा करने के संबंध में उक्त विषय पर माननीय जल संसाधन मंत्री ने असम के माननीय मुख्यमंत्री को अ.शा.पत्र सं. 27.11.2007 देते हुए इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने



का अनुरोध किया था। भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय के सचिव ने भी असम सरकार के मुख्य सचिव को लिखे अ.शा.पत्र सं. 14013/1/2007-बी एंड बी/690 दिनांक 14 मार्च, 2008 के जरिए जिराट सर्वेक्षण चलाने के लिए मामले पर तत्काल उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया था ताकि ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पागलादिया बांध परियोजना का कार्यान्वयन शीघ्रता से किया जा सके।

4.2.3 बाढ़ प्रबंधन और तटकटावरोधी स्कीमें

4.2.3.1 धोला - हातीघुली में ब्रह्मपुत्र का अपदारन:

धोला- हातीघुली में अपदारन के चलते, लोहित और दिबांग का संयुक्त प्रवाह अनन्त नाला/ बालु नाला से बहना आरंभ हो गया है जिसके कारण अपदारित कैनल के दोनों ओर व्यापक तटकटाव हो रहा है। तटकटाव की समस्या को खत्म करने के लिए और देबंग के साथ-साथ लोहित को उनके अपने मूल प्रवाह में ले जाने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 4 चरणों में इस स्कीम को लिया है। स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है:-

क	धोला-हातीघुली - चरण - I	रु. 10.47 करोड़	वर्ष 2003-04 के दौरान पूरा
ख	धोला-हातीघुली - चरण - II	रु. 4.95 करोड़	वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा
ग	धोला- हातीघुली - चरण - III	रु. 8.47 करोड़	वर्ष 2007-08 के दौरान पूरा

4.2.3.2 माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण

असम सरकार से अनुरोध की प्राप्ति पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने मास्टर योजना के आधार पर माजुली के बाढ़ और तटकटाव से प्रतिरक्षण पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया और उसे अगस्त, 2000 में के.ज.आ. को प्रस्तुत किया। के.ज.आ. ने अगस्त, 2003 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्कीम को रु. 86.56 करोड़ के लिए क्लीयर कर दिया। उक्त परियोजना में प्रतिरक्षण कार्य का कार्यान्वयन तीन

चरणों, यथा- चरण-I, चरण-II और चरण-III में होना निहित है।

4.2.3.2.1 माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण (तात्कालिक उपाय) रु. 5.92 करोड़

समस्या की गंभीरता पर तथा उपर्युक्त प्रस्ताव के अनिवार्य निवेश क्लीयरेंस की प्रक्रिया में समय लगने की स्थिति पर विचार करते हुए, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने रु0 6.22 करोड़ का अन्य एक अल्पकालीन स्कीम तात्कालिक उपाय के रूप में तैयार किया जिसे जून, 2003 के दौरान नाजुक स्थलों का दौरा करके

विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों को जोड़ते हुए तैयार किया है। उक्त कार्य जनवरी, 2004 के दौरान लिया गया था और फरवरी, 2005 में पूरा कर लिया गया।

4.2.3.2.2 माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण चरण-I (रु.41.28 करोड़)

उपर्युक्त उल्लिखित के.ज.आ. द्वारा क्लीयर किए गए स्कीम के चरण-I के कार्य निष्पादन के लिए रु. 24.28 करोड़ के लिए भारत सरकार ने व्यय की मंजूरी प्रदान की। स्कीम निष्पादनाधीन है और चरण-I का 85% कार्य पूरा हो गया है। किए गए कार्य से कुछ

सामान्य अवस्थानों को छोड़कर प्रायः सभी स्थलों का तटकटाव और बाढ़ को रोकने में सक्षम हुआ है। अभीतक चरण-I का कुल व्यय रु0 40.34 करोड़ हो गया है।

4.2.3.2.3 माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण चरण-II और चरण-III

दीर्घकालिक उपाय के लिए मॉडल अध्ययनों का प्रावधान चरण-I के कार्य में रखा गया है, जो इतिपूर्व पूरा हो चुका है और मॉडल अध्ययनों में मिले जाँच-



परिणाम के आधार पर, चरण-II और चरण-III के लिए कार्यगत प्राक्कलन की राशि रू. 196.19 करोड़ हो गई है जिसे तकनीकी-आर्थिक क्लियरेंस के लिए के.ज.आ को प्रस्तुत किया गया है। यह कार्य ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान पूरा करना प्रस्तावित है।

भारत सरकार ने माजुली द्वीप के लिए विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति का गठन कर दिया है। उक्त समिति के अध्यक्ष सदस्य (आरएम), के.ज.आयोग हैं तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष, के.ज.आ के मुख्य अभियंता (तक), सीडब्ल्यूपीआरएस के निदेशक, आइआइटी (रूढ़की) के सेवा निवृत्त प्रोफेसर के.जी.रंगाराजू, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डी.सी.गोस्वामी और माजुली स्थित पीडी कॉलेज के प्रोफेसर गणनाथ सदस्य हैं। उक्त समिति दिनांक 19.11.2007 को जारी अधिसूचना के तहत गठित है। समिति ने अपना माजुली का दौरा कर अपनी पहली बैठक जोरहाट में दिनांक 2 से 4 जनवरी, 2008 को किया और कुछ निश्चित उपायों का सुझाव दिया, जिसे बोर्ड द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है।

4.2.3.3 दिमापुर के कुशियाबिल और दुर्गाजान गाँव का प्रतिरक्षण

चरण-II रू. 0.85 करोड़ 2005-06 के दौरान पूरा

चरण-III रू. 1.80 करोड़ 2007-08 के दौरान पूरा

4.2.3.4 बरनदि नदी की बाढ़ और तटकटाव से नाग्रिजुली-रंगिया शहर तथा मुकालमुवा/बरभाग क्षेत्र का प्रतिरक्षण

वर्ष 2005-06 में के.ज.आयोग ने रू. 4.89 करोड़ के लिए प्रस्तावित नाग्रिजुलि प्रतिरक्षण कार्य को तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दी। यह स्कीम वर्तमान में निष्पादनाधीन है। प्रायः 75% कार्य पूरा हो गया है और चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा कर लिए जाने की आशा है।

4.3 जलनिकास विकास स्कीम का निर्माण

4.3.1 बरभाग जलनिकास विकास स्कीम

स्कीम के उपर उठाने और मजबूत बनाने के कार्य में प्रगति हुई है। इतिपूर्व 7 कि.मी. तक तटबंध को उपर उठाकर मजबूत किया गया है और 9 कि.मी. कैनल को रि-सेक्शन किया गया है। स्लूइस की अभिकल्पना को संशोधित किया गया है और तदनुसार कार्य-योजना को संशोधन करना है। यह कार्य 2009-10 तक पूरा हो जाएगा।

4.3.2 अमजूर जलनिकास विकास स्कीम

स्लूइस के विस्तृत अभिकल्पना कार्य को के.ज.आयोग द्वारा किया जा रहा है नए तटबंध के निर्माण और विद्यमान तटबंध के उठाने एवं मजबूत करने के काम की निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। यह कार्य 2009-10 तक पूरा हो जाएगा।

4.3.3 अन्य जलनिकास विकास स्कीम

अभी 6 (छः) जलनिकास विकास स्कीम, यथा - जयसागर (2.13 करोड़) इस्ट ऑफ बरपेटा (1.34 करोड़) जकाईचुक (2.96 करोड़) और कैलाशहर (4.18 करोड़) कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण पर हैं।

4.4 एजेन्सियों द्वारा निधिपोषित कार्य

पूर्वोत्तर परिषद द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार किन्सी (जदुकाटा) चरण-II के सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने सन 2004-05 में लिया था। अभी सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

4.5 बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन कार्य (राज्य क्षेत्र की योजना)

इम्पावर्ड कमिटी की 10वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के निष्पादन



के लिए उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न राज्यों सहित सिक्किम और पश्चिम बंगाल को पहली किश्त के रूप में निम्नलिखित रूप से राशि रीलिज करने की सिफारिश की गई है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007-08 के दौरान पहली किश्त के रूप में सिफारिश की गई और विभिन्न राज्यों को रीलिज की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है:

(राशि रूपए में)

क्र.सं	राज्य	स्कीमों की संख्या	बी बी द्वारा सिफारिश की गई राशि (करोड़ में)
1.	असम	96	138.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	17.48
3.	त्रिपुरा	10	13.27
4.	नागालैण्ड	05	6.95
5.	मणिपुर	09	9.22
6.	मिजोरम	02	3.92
7.	सिक्किम	24	23.96
8.	मेघालय	शून्य	शून्य
9.	पश्चिम बंगाल	06	7.46
	कुल	164	220.90



अध्याय - V

वार्षिक लेखे एवं कार्यालय नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

5.1 लेखा विवरण

2007-08 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड की वार्षिक लेखे का विवरण इस अध्याय के पृष्ठ संख्या 26 से 53 तक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है।

5.1.1 लेखापरीक्षा : आभ्यान्तरी लेखापरीक्षा के साथ वाह्य लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों की स्थिति नीचे प्रस्तुत है।

31.3.2008 को आभ्यान्तरी लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए बकाये पैराओं की स्थिति

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	01.04.2007 को बकाया	2007-08 को उठाए गए पैरा	2007-08 के दौरान निपटाए गए पैरा	31.03.2008 को शेष
1	गुवाहाटी परिमंडल	07	-	04	03
2	गुवाहाटी मंडल	28	08	-	36
3	नलबारी मंडल	06	03	01	08
4	नर्थ गुवाहाटी मंडल	20	04	01	23
5	नगावँ मंडल	19	12	03	28
6	मुख्य अभियंता (आई एवं डब्ल्यू)	02	-	-	02
7	मुख्य अभियंता (पी एवं डी)	01	-	-	01
8	मुख्य अभियंता (पीडीपी)	12	-	05	07
9	पागलादिया बाँध मंडल-I	02	-	-	02
10	पागलादिया बाँध मंडल-II	01	-	-	01
11	लखीमपुर मंडल	33	19	04	48
12	रोईंग मंडल	32	09	10	31
13	तिनसुकीया परिमंडल	07	-	02	05
14	तेजू मंडल	17	-	03	14
15	सिलचर परिमंडल	04	03	01	06
16	बराकघाटी मंडल	29	09	02	36
17	आगरतला मंडल	04	-	01	03
16	सम्पर्क कार्यालय	02	-	-	02
	कुल	226	67	37	256



31.3.2008 को प्र.म.लेखाकार (लेखापरीक्षा) की निरीक्षण रिपोर्ट के बकाये पैराओं की स्थिति

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	01.04.2007 को बकाया	2007-08 को उटाए गए पैरा	2007-08 के दौरान निपटाए गए पैरा	31.03.2008 को शेष
1	गुवाहाटी मंडल	34	05	10	29
2	नर्थ गुवाहाटी मंडल	19	09	11	17
3	ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय	35	05	-	40
4	लखीमपुर मंडल	21	08	-	29
5	बराकघाटी मंडल	28	-	07	21
6	रोईंग मंडल	15	07	-	22
7	पागलादिया बाँध मंडल- I	02	-	01	01
8	मुख्य अभियंता (पीडीपी)	19	-	01	18
9	नगाँव मंडल	10	09	-	19
	कुल	183	43	30	196

5.1.2 वर्ष 2007-08 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की अंशदायी भविष्यनिधि लेखा की निवेश व्यवस्था :

सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर अमल करते हुए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अंशदायी भविष्यनिधि की राशि में से 42.96% केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों

(किसान विकास पत्र) में और शेष 57.04% राष्ट्रीयकृत बैंक/ वित्तीय संस्थानों में (आइडीबीआई लि.) निवेश किया है।

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड सीपीएफ ट्रस्ट की निवेश व्यवस्था निम्नलिखित है :

निवेश व्यवस्था

(राशि रूप में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	31.03.2008 तक निवेश की गई राशि	निवेश का %
1.	आइ डी बी आइ लि.	10,66,89,742.00	47.11
2.	इंडियन बैंक	2,00,00,000.00	8.83
3.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	25,00,000.00	1.10
4.	डाक विकास (किसान विकास पत्र)	9,73,00,000.00	42.96
	कुल	22,64,89,742.00	



ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी
(भारत सरकार)

31 मार्च, 2008 वर्ष को तुलन-पत्र

(रूपे राशि में)

<u>पूँजीगत निधि और देयताएँ</u>	<u>अनुसूची</u>	<u>चालू वर्ष</u>	<u>पिछला वर्ष</u>
पूँजी निधि :	1	1,918,373,238.18	1,757,488,827.85
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का निवल शेष			
आरक्षित धन और आधिक्य	-	-	-
उद्दिष्ट/एण्डोमेंट निधि	-	-	-
प्रत्याभूत ऋण और उधार की धन राशि	-	-	-
अप्रत्याभूत ऋण और उधार की धन राशि	-	-	-
आस्थगित उधारी देयताएँ	-	-	-
चालू देयताएँ और प्रावधान	2	45,297,507.99	34,916,541.55
कुल		1,963,670,746.17	1,792,405,369.40
<u>परिसम्पत्तियाँ</u>			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	3	1,358,838,717.90	1,191,247,803.16
उद्दिष्ट निधि से निवेश	4	51,497,464.00	48,725,539.00
(छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान) निवेश अन्यो में	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि	5	553,334,564.27	552,432,027.24
विविध व्यय	-	-	-
कुल		1,963,670,746.17	1,792,405,369.40

(के.सी.कोवर)

वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी
(भारत सरकार)

31 मार्च, 2008 वर्ष को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यव लेखा

(रूपए राशि में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
बिक्री/सेवा से आय	-	-	-
अनुदान	6	-	-
शुल्क/ अंशदान	-	-	-
उद्दिष्ट निधि पर निवेश से आय	7	3,001,766.00	2,706,853.00
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	-	-	-
उपार्जित ब्याज	8	4,400,515.00	5,443,476.00
उपार्जित ब्याज परंतु प्राप्त नहीं किया गया (अर्जित)	8(A)	5,480,548.00	3,466,965.00
अन्य आय	9	13,232,812.00	10,379,693.00
तैयारीकृत सामग्री के भण्डारण में वृद्धि/ कमी और प्रगति पर कार्य	-	-	-
अवधि पूर्व समायोजन		439,481.00	1,425,505.00
कुल (क)		26,555,122.00	23,422,492.00
व्यय			
स्थापना खर्च	10	117,013,711.00	103,050,493.09
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	11	20,137,630.91	28,645,779.50
अनुदान, सब्सिडाइज्ड आदि पर व्यय	-	-	-
ब्याज	-	-	-
कार्यों पर व्यय	12	58,492,408.00	68,488,436.55
मूल्यहास	3	8,361,961.76	8,086,102.92
कुल (ख)		204,005,711.67	208,270,812.06
शेष आय पर हो रहे व्यय का आधिक्य (ख-क)		177,450,589.67	184,848,320.06
विशेष रिजर्व के लिए स्थानांतर		-	-
साधारण रिजर्व में / से स्थानांतर		-	-
तुलन पत्र में आगे लाया गया कम हो रहा शेष		177,450,589.67	184,848,320.06

(के.सी.कोंवर)

वित्तीय सलाहकार




ब्रह्मपुत्र बोर्ड
(भारत सरकार)

अनुसूची-1

31 मार्च, 2008 वर्ष को तुलना-पत्र के उत्पन्न भाग के अनुसूची

(रुपये राशि में)

पूँजीगत निधि (भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान)		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष दिन:		1,757,488,827.85	1,599,637,147.91
वर्ष के आरंभ में निवल शेष		1,757,488,827.85	1,599,637,147.91
जोड़े: वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान			
क्रम सं.	स्वीकृति आवेदन सं और तिथि	डाफ्ट सं और तिथि	राशि
i)	31/10/2004-IT/ बी एवं बी/1418 दि: 04-05-07	सं: 264306 दि: 17.05.07	45,000,000.00
ii)	31/10/2004-IT/बी एवं बी/779.85 दि: 29-06-07	सं: 2706886 दि: 12.07.07	128,600,000.00
iii)	एफ सं.- 15012/7/2007-बी एवं बी//2779-87 दि: 07-11-07	सं: 271489 दि: 15.11.07	103,900,000.00
iv)	एफ सं. 15012/7/2007-बी एवं बी//Part दि: 26-02-08	सं: 287208 दि: 28.02.08	47,335,000.00
v)	एफ सं.31/28/2007-बी एवं बी//680-88 दि: 14-03-08	सं: 287326 दि: 14.03.08	13,500,000.00
		कुल	
		338,335,000.00	342,700,000.00
		2,095,823,827.85	1,942,337,147.91
घटाएँ: आय और व्यय लेखों में स्थानांतरित आय पर अव्यय का आधिक्य		177,450,589.67	184,848,320.06
वर्ष की समाप्ति पर शेष		1,918,373,238.18	1,757,488,827.85


(के. सी. कोंवर)
वित्तीय सलाहकार




ब्रह्मपुत्र बोर्ड
(भारत सरकार)

अनुसूची-2

31 मार्च, 2008 वर्ष को तुलन-पत्र के उत्पन्न भाग के अनुसूची

(रुपये राशि में)

क. चालू देनदारियों और प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. चालू देनदारियाँ		710,012.31
1. <u>संड़े क्रेडिटर्स</u>	4,432,812.31	
2. <u>अन्य चालू देनदारियाँ</u>	40,537,447.94	34,186,849.94
i) भूगतानयोग्य अमानती धन, प्रतिभूति जमा आदि	75,199.74	19,679.30
ii) भूगतानयोग्य मासिक विविध वसूलियाँ	252,048.00	-
iii) ठेकेदारों से भूमि क्षतिपूर्ती के लिए कटौती		
कुल (क)	45,297,507.99	34,916,541.55
(ख) प्रावधान	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क + ख)	45,297,507.99	34,916,541.55


(के.सी.कोंवर)
वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी (भारत सरकार)

अनुसूची-3

31 मार्च, 2008 वर्ष को तुलन-पत्र के उत्पन्न भाग के अनुसूची

(रुपये राशि में)

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

क. स. क्र.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यांकन				निवल ब्लॉक			
		1/4/2007 को मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान स्थानांतरण/कटौती	1/4/2008 को मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़	स्थानांतरण/कटौती	31/3/2008 को कुल	31/3/2008 को	31/3/2007 को			
1	स्थायी परिसम्पत्तियाँ												
1	भूमि	15,026,602.32	577,255.00	-	15,603,857.32	-	-	-	15,603,857.32	-	15,603,857.32	15,026,602.32	
2	संरक्ष, मशीनरी और उपकरण	34,297,018.09	-	-	34,297,018.09	623,821.10	28,028,284.19	28,652,105.29	5,644,912.80	6,268,733.90	6,268,733.90		
3	कार्यालय, इन्ड्रिंग और सर्वेक्षण उपकरण	36,697,174.69	237,292.00	-	36,934,466.69	1,854,255.14	25,500,542.18	27,354,797.32	9,579,669.37	11,196,632.51	11,196,632.51		
4	फर्नीचर और फिक्स्ड	10,839,628.75	714,729.00	-	11,554,357.75	367,883.13	3,446,033.79	3,813,916.92	7,740,440.83	7,393,594.96	7,393,594.96		
5	भवन	82,683,974.64		-	82,683,974.64	1,333,272.37	15,609,296.27	16,942,568.64	65,741,406.00	67,074,678.37	67,074,678.37		
6	सड़क, पुल और पुलिया	10,692,153.36		-	10,692,153.36	3,945,486.84	3,945,486.84	4,078,506.48	6,613,646.88	6,746,666.52	6,746,666.52		
7	वाहन	18,586,901.35		-	18,586,901.35	1,178,991.10	16,911,921.06	18,090,912.16	495,989.19	1,674,980.29	1,674,980.29		
8	अन्य विविधा परिसम्पत्तियाँ	28,411,375.34		-	28,411,375.34	1,912,895.37	13,073,097.28	14,985,992.65	13,425,382.69	15,338,278.06	15,338,278.06		
9	कम्प्यूटर परिहस्त्व	3,273,208.00	2,382,633.00	-	5,655,841.00	274,589.21	243,942.26	518,531.47	5,137,309.53	3,029,265.74	3,029,265.74		
10	ट्यूबवेल और जल आपूर्ति	40,371.00	25,350.00	-	65,721.00	1,316.10	1,316.10	2,180.75	63,540.25	39,054.90	39,054.90		
कुल चालू वर्ष		240,548,407.54	3,937,259.00	-	244,485,666.54	7,679,591.71	106,759,919.97	114,439,511.68	130,046,154.86	133,788,487.57	133,788,487.57		
कुल पिछला वर्ष		236,924,655.54	3,623,752.00	-	240,548,407.54	7,403,732.87	99,356,187.10	106,759,919.97	133,788,487.57	133,788,487.57	133,788,487.57		
बी													
पूँजीगत कार्य प्रति पर													
1	हराम जल विकास	282,455,848.84	4,575,850.50	(779,631.00)	286,252,068.34	71,505.51	478,004.05	549,509.56	283,702,558.78	281,977,844.79	281,977,844.79		
	स्कीम का निमाण												

पृ.सं: 31 पर जारी



ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी (भारत सरकार)

अनुसूची-3
पृ.सं. 30 से जारी
(रूपये राशि में)

31 मार्च, 2008 वर्ष को तुलन-पत्र के उत्पन्न भाग के अनुसूची

क्र. सं.	विवरण	सरकार ब्लॉक				मूल्यदास				निवल ब्लॉक	
		1/4/2007 को मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान स्थानांतरण/कटौती	1/4/2008 को मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़	स्थानांतरण/कटौती	31/3/2008 को कुल	31/3/2008 को	31/3/2007 को	
2	पाल्वाहिया बौध परिवोजना का निर्माण (अनु-3 ख)	329,175,911.91	24,015,531.00	3,707,384.00	356,898,826.91	610,864.54	3,855,333.85	353,043,493.06	325,733,442.60		
3	अमरूर जलनिकास विकास स्कीम	2,071,782.00	3,085,471.00	-	5,157,253.00	-	-	5,157,253.00	2,071,782.00		
3.1	अन्य सरकारी निकायों के साथ अग्रिम/जमा	1,014,000.00	-	-	1,014,000.00	-	-	1,014,000.00	1,014,000.00		
4	धोला हाथिलि में ब्रह्मपुत्र का अपवाह	145,383,885.00	51,031,824.00	-	196,415,709.00	-	-	196,415,709.00	145,383,885.00		
4.1	अन्य सरकारी निकायों के साथ अग्रिम/जमा	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00		
5	माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण	252,419,920.20	64,448,874.00	-	316,868,794.20	-	-	316,868,794.20	252,419,920.20		
5.1	अन्य सरकारी निकायों के साथ अग्रिम/जमा	11,750,000.00	16,804,116.00	(6,739,428.00)	21,814,688.00	-	-	21,814,688.00	11,750,000.00		
6	बसाग जलनिकास विकास स्कीम	16,232,576.00	4,364,465.00	-	20,597,041.00	-	-	20,597,041.00	16,232,576.00		
7	जलनिकास विकास स्कीम का निष्पारन	11,733,196.00	7,303,161.00	-	19,036,357.00	-	-	19,036,357.00	11,733,196.00		
8	निहारी चरण-II का निर्माण	8,992,669.00	-	-	8,992,669.00	-	-	8,992,669.00	-		
कुल चालू वर्ष		1,061,379,788.95	175,629,292.50	(3,811,675.00)	1,233,197,406.45	682,370.05	4,404,843.41	1,228,792,563.04	1,057,459,315.59		
कुल पिछला वर्ष		889,824,618.96	172,413,077.99	(1,055,908.00)	1,061,181,788.95	3,040,103.31	3,722,473.36	1,057,459,315.59	-		
सर्वमुक्त (क +ख)											
चालू वर्ष		1,301,928,196.49	179,566,551.50	(3,811,675.00)	1,477,683,072.99	8,361,961.76	110,482,393.33	1,358,838,717.90	1,191,247,803.16		
पिछला वर्ष		1,126,749,274.50	176,036,829.99	(1,055,908.00)	1,301,730,196.49	8,086,102.92	110,482,393.33	1,191,247,803.16	-		

(के.सी. कोंवर)
वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड
(भारत सरकार)

अनुसूची-3 (क)

31 मार्च, 2008 वर्ष को तुलन-पत्र के स्थायी परिसम्पत्तियों के उत्पन्न भाग के अनुसूची

पूँजीगत कार्य प्रगति पर

(रूपए राशि में)

क्र. सं.	मद	1-4-2007 को	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान स्थानांतरण/कटौती	31-3-2008 को सकल ब्लॉक	मूल्यढास			निवल ब्लॉक
						1-4-2007 को	वर्ष के दौरान समायोजन	31-3-2008 को	
हरांग जलनिकास विकास स्कीम का निमाण									
(I)	ए- प्रारंभिक ओ-विविध साधारण टी एण्ड पी पी-असुरक्षण वी-भूमि आर-संचार सी- कार्य	5,330,044.00 7,535,466.50 206,650.00 275,477.00 41,499,159.55 7,929,452.00 197,070,168.40	- - - 68,823.50 - - 4,507,027.00	- - - - - - -	5,330,044.00 7,535,466.50 206,650.00 344,300.50 41,499,159.55 7,929,452.00 201,577,195.40	- - - - - - -	- - - - - - -	5,330,044.00 7,535,466.50 206,650.00 344,300.50 41,499,159.55 7,929,452.00 197,070,168.40	5,330,044.00 7,535,466.50 206,650.00 275,477.00 41,499,159.55 7,929,452.00 197,070,168.40
	फर्नीचर वाहन अन्य स्थापना खर्चे कार्य प्रभारित वेतन स्टोर व भाण्डारण उच्चत कार्यालय उपकरण अन्य सरकारी निकायों के साथ अग्रिम/जमा	133,516.00 896,729.00 19,137,789.25 652,725.00 26,199.50 51,589.00 1,710,883.64	- - - - - - -	- - - - - - (779,631.00)	133,516.00 896,729.00 19,137,789.25 652,725.00 26,199.50 51,589.00 931,252.64	34,373.71 418,098.96 - - - 25,531.38 -	4,459.43 63,398.74 - - - 3647.34 -	94,682.86 415,231.30 19,137,789.25 652,725.00 26,199.50 22,410.28 931,252.64	99,142.29 478,630.04 19,137,789.25 652,725.00 26,199.50 26,057.62 1,710,883.64
(II)	कुल	282,455,848.84	4,575,850.50	(779,631.00)	286,252,068.34	478,004.05	71,505.51	285,702,558.78	281,977,844.79

(Handwritten Signature)

(के.सी. कौवर)

वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड (भारत सरकार)

अनुसूची-3 (ख)

31 मार्च, 2008 वर्ष को तुलन-पत्र के स्थायी परिसम्पत्तियों के उत्पन्न भाग के अनुसूची

पूँजीगत कार्य प्रगति पर

क्र. सं.	मद	1-4-2007 को	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान स्थानांतरण/कटौती	31-3-2008 को सकल ब्लॉक	मूल्यांकन		निवल ब्लॉक	
						वर्ष के दौरान	स्थानांतरण / समायोजन	1-4-2007 को	31-3-2008 को
(I)	पागलादिया बाँध परियोजना का निर्माण								
	ए-प्रारंभिक	10,193,285.95	3,094.00	-	10,196,379.95	-	-	10,196,379.95	10,193,285.95
	बी-भूमि	13,984,934.43	522,450.00	-	14,507,384.43	-	-	14,507,384.43	13,984,934.43
	सी-भवन	26,977,225.78	38,752.00	-	27,015,977.78	-	-	27,015,977.78	26,977,225.78
	ओ-विविध	25,172,054.81	2,397,532.00	954,306.00	28,523,892.81	-	-	28,523,892.81	25,172,054.81
	विशेष टी एण्ड पी	-	-	-	-	-	-	-	-
	सधारण टी एण्ड पी	1,705,636.00	-	-	1,705,636.00	-	-	1,705,636.00	1,705,636.00
	आर-संचार	16,360,323.31	790.00	34,307,000.00	50,668,113.31	-	-	50,668,113.31	16,360,323.31
	कार्य प्रभारित वेतन	13,437,770.12	2,612,117.00	-	16,049,887.12	-	-	16,049,887.12	13,437,770.12
	पी-अभिरक्षण	1,246,918.30	23,309.00	-	1,270,227.30	-	-	1,270,227.30	1,246,918.30
	कार्यालय उपकरण	1,979,214.00	-	-	1,979,214.00	139,930.43	-	746,601.89	1,372,542.54
	फर्नीचर एवं फिक्चर	2,170,479.00	-	-	2,170,479.00	72,494.00	-	436,760.77	1,806,212.23
	अन्य स्थापना खर्च	67,962,095.35	8,402,573.00	-	76,364,668.35	-	-	76,364,668.35	67,962,095.35
	मशीनरी और उपकरण	1,621,533.00	-	-	1,621,533.00	-	-	1,621,533.00	1,155,262.99
	सी-कार्य	11,774,150.86	-	-	11,774,150.86	-	-	11,774,150.86	11,774,150.86
	वाहन	4,454,472.00	-	-	4,454,472.00	314,931.16	-	2,122,192.23	2,647,210.93
	स्टोर व भण्डारण उंचत	6,983,305.06	(502.00)	-	6,982,803.06	-	-	6,982,803.06	6,983,305.06
	एम-वन रोपण	36,280.00	-	-	36,280.00	-	-	36,280.00	36,280.00
(II)	अन्य सरकारी निकायों के	123,116,233.94	10,015,416.00	(31,553,922.00)	101,577,727.94	-	-	101,577,727.94	122,918,233.94
	संघ अग्रिम/जमा								
	कुल	329,175,911.91	24,015,531.00	3,707,384.00	356,898,826.91	3,244,469.31	610,864.54	3,855,333.85	325,733,442.60

टिप्पणी: महालेखाकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2006-07 के पैरा 2ख भाग-II ख के अनुसार निविदा दस्तोच के तैयारी के लिए वापकोस लिमिटेड को रु. 198000.00 की राशि सहित अन्य प्राधिकारियों के पास अग्रिम/जमा अन्तः शेष जिसे जे.वी. सं. 28 दिनांक 31.3.2008 द्वारा समायोजित की गई।

(के.सी. कौवर)

वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड ::: गुवाहाटी
(भारत सरकार)


अनुसूची - 4

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर तुलन - पत्र के स्थायी परिसम्पत्तियों के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रूप में राशि)

उद्दिष्ट निधियों से निवेश (छुट्टी वेतन और पेंसन अंशदान के लिए जमा)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. अनुसूची बैंक के साथ अल्पम्यादी जमा में जोड़ें. उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर उपाजित ब्याज	8,250,000.00 43,247,464.00	8,250,000.00 40,475,539.00
कुल	51,497,464.00	48,725,539.00

टिप्पणी: 2006-07 के लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 3.1.2 में महालेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार छुट्टी वेतन के लिए निवेश पर उपाजित ब्याज और पेंसन अंशदान जिसे पूर्ववर्ती अनुसूची-5 में दिखाया गया था, करें पिछले वर्ष 2006-07 तथा चालू वर्ष 2007-08 के लिए अनुसूची-4 के उद्दिष्ट निधि से निवेश के साथ पुनर वर्गीकृत किया गया।


(के. सी. कौवर)
वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड ::: गुवाहाटी (भारत सरकार)

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर तुलन-पत्र के उत्पन्न भाग की अनुसूची

अनुसूची-5

(रूपए में राशि)

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसम्पत्तियाँ		
1. स्टॉक एवं भण्डारण	2,648,435.23	2,646,600.23
2. संदे डेब्टर्स		
i. एन.एच.पी.सी. लि. से प्राप्ति योग्य (सुवनसिरी परि. के स्थानांतरण के विपरीत)	230,934,824.00	230,934,824.00
ii. निपको लि. से प्राप्ति योग्य (टिपाइमुख परि. के स्थानांतरण के विपरीत)	45,888,545.12	45,888,545.12
iii. केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्ति योग्य (कुण्डिल सिंचाई परियोजना भूमि परीक्षण के विपरीत)	-	566,605.00
iv. केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्ति योग्य (कुण्डिल सिंचाई परियोजना भूमि परीक्षण के विपरीत)	-	418,732.00
3. हाथ में नकद शेष	29,479.06	30,513.79
4. चालू खाते पर अनुसूची बैंक के साथ बैंक में शेष.	49,304,510.66	87,673,199.90
5. अल्पम्यादी जमा पर अनुसूची बैंक के साथ बैंक में शेष.	168,900,000.00	129,500,000.00
6. कर्मचारियों के पास अग्रदाय	54,338.83	80,176.83
7. मार्गस्थ प्रेषण	25,866.00	610,244.00
(क) का कुल	497,785,998.90	498,349,440.87

पृ.सं. 36 पर जारी



ब्रह्मपुत्र बोर्ड ::: गुवाहाटी
(भारत सरकार)

अनुसूची-5
पृ.सं. 35 से जारी
(रुपए में राशि)

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर तुलन-पत्र के उत्पन्न भाग की अनुसूची

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख. चालू ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियाँ		
1. कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम (एच. बी. ए. अग्रिम आदि)	30,886,859.92	35,123,673.92
2. नकद या सामग्री के रूप में अथवा मूल्य प्राप्त किया जाने वाला वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ		
i. ठेकेदारों को अग्रिम	2,259,344.20	2,059,306.20
ii. आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम	285,460.25	185,460.25
iii. विशेष अध्ययनों के लिए अग्रिम	189,500.00	189,500.00
iv. अन्य सरकारी निकायों के पास जमा	4,733,018.00	5,040,652.00
3. प्रोद्भूत आय		
i. उद्दिष्ट निधि से निवेश पर (छुट्टी वेतन और पेंसन अंशदान के लिए जमा)	229,841.00	-
ii. अन्यो के निवेश पर (अनुसूची बैंक के साथ अल्पम्यादी जमा)	16,964,542.00	11,483,994.00
(ख) का कुल	55,548,565.37	54,082,586.37
(क+ख) का कुल	553,334,564.27	552,432,027.24

(के. सी. कोंवर)
वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहाटी
(भारत सरकार)

अनुसूची-6

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रूप में राशि)

अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. <u>केन्द्रीय सरकार:</u> कोई भी पूंजी प्राप्त नहीं की गई	-	-
कुल	-	-

के.सी. कोंवर

(के.सी. कोंवर)

वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी
(भारत सरकार)

अनुसूची-7

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रूप में राशि)

उद्दिष्ट निधियों पर निवेश से आय (छुट्टी वेतन और पेंसन अंशदान आदि के लिए जमा)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. अनुसूची बैंक के साथ अल्पव्यादी जमा पर ब्याज	3,001,766.00	2,706,853.00
कुल	3,001,766.00	2,706,853.00

के.सी.कॉवर

(के.सी.कॉवर)

वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी
(भारत सरकार)

अनुसूची-8

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रुपए में राशि)

उपाजित ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. अनुसूची बैंक के साथ अल्पम्यादी जमा पर ब्याज पर : क) बैंक से प्राप्त ब्याज	4,400,515.00	5,443,476.00
कुल	4,400,515.00	5,443,476.00

के.सी. कोंवर

(के.सी. कोंवर)

वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी
(भारत सरकार)

अनुसूची-8 (क)

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रुपए में राशि)

उपार्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. अनुसूची बैंक के साथ अल्पम्यादी जमा पर : क) बैंक से प्राप्त ब्याज	5,480,548.00	3,466,965.00
कुल	5,480,548.00	3,466,965.00



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी (भारत सरकार)

अनुसूची - 9
(रुपए में राशि)

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. विविध आय:		
क) ठेकेदार से छूट	-	29,767.00
ख) ठेकेदार से पैनल्टी	-	899,755.00
ग) पुराने अखबारों आदि की बिक्री	2,720.00	3,945.00
घ) वाहन की नीलामी	-	12,218.00
ड) बी एस एन एल प्राप्त किराया	46,800.00	39,000.00
च) मशीनरी व उपकरण का प्रकार	8,506.00	14,238.00
छ) अतिथि गृह की प्राप्तियाँ	54,680.00	59,425.00
ज) लाइसेंस शुल्क	190,284.00	171,905.00
झ) विद्युत प्रभार की वसूली	195,617.00	173,898.00
स) जल प्रभार की वसूली	4,063.00	3,882.00
ट) स्टाफ बस के भाड़े की वसूली	49,748.00	-
ठ) निविदा शुल्क	318,810.00	338,140.00

पृ.सं. 42 पर जारी




ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी (भारत सरकार)

अनुसूची - 9
पृ.सं. 41 से जारी
(रुपए में राशि)

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

	ड) कर्मचारियों से पैनाल्टी	5,125.00	3,298.00
	ढ) टिपाइमुख बंध परियोजना के विपरीत सी डब्ल्यू	-	-
	स) पी आर एस से प्राप्त खर्च न हुई राशि	-	279,398.00
	ण) गतिशील अग्रिम पर ब्याज	-	10.00
	त) आर.टी. अधिनियम के अनुसार प्राप्त राशि	152.00	-
2	थ) देरी से जमा के लिए बैंक से प्राप्त ब्याज	1,822,845.00	1,780,705.00
3	निहारी में प्रयोगशाला परीक्षण प्रभार अग्रिमों पर ब्याज	533,462.00	570,109.00
4	जमा कार्य-किन्सी (जाडुकाटा) चरण-II, बहुप्रयोजनी परियोजना (पू.परि.द्वारा वित्तपोषित) का सर्वेक्षण और अन्वेषण	10,000,000.00	6,000,000.00
	कुल	13,232,812.00	10,379,693.00


(के.सी.कोंवर)
वित्तीय सलाहकार




ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी (भारत सरकार)

अनुसूची-10

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

	(रुपए में राशि)	
स्थापना खर्चे	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
क. वेतन तथा मजदूरी	86,381,554.00	96,403,669.00
ख. छुट्टी - नकदी	488,752.00	1,198,994.00
ग. वर्दी और पोशाक	108,057.00	91,777.00
घ. मानदेय	11,240.00	10,200.00
ङ. बोनस	1,261,154.00	1,372,434.00
च. छु. या. रि.	1,631,658.00	1,440,281.00
छ. छात्रवृत्ति और वृत्तिका	-	-
ज. उपदान	1,234,055.00	3,118,910.00
झ. अ.भ.नि. में अंशदान	9,144,672.09	9,180,941.00
स. चिकित्सा खर्चे	2,587,853.00	3,987,135.00
ट. प्रशिक्षण	190,185.00	183,671.00
ठ. छुट्टी वेतन और पेंसन अंशदान	11,313.00	25,699.00
कुल	103,050,493.09	117,013,711.00

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08


(के.सी.कोंवर)
वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी (भारत सरकार)

अनुसूची-11

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रूप में राशि)

अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. क. डाक, तौर और टेलीफोन	893,275.00	932,274.00
ख. मुद्रण व स्टेशनरी	3,349,943.09	3,275,824.00
ग. पत्र-पत्रिकाएँ	154,256.00	162,710.00
घ. बैठक, संगोष्ठी तथा कार्यशाला पर खर्चे	383,869.00	352,853.00
ङ. बीमा	58,584.00	57,851.00
च. आतिथ्य खर्चे	48,514.00	29,470.00
छ. विधि शुल्क पर खर्चे	70,420.00	121,119.00
ज. विद्युत तथा जल प्रभार	402,973.00	415,550.00
झ. बैंक प्रभार	32,027.99	19,116.50
ञ. अन्य प्रभार (कार्यालय स्थानांतरण)	256,381.69	344,750.00
ट. यात्रा और वाहन खर्चे	5,400,320.00	4,902,499.00
ठ. किराया, दर और कर	1,648,977.00	822,560.00
ड. प्रकाशन	56,700.00	39,665.00

पृ.सं. 45 पर जारी




ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी (भारत सरकार)

अनुसूची-11

पृ.सं. 44 से जारी
(रूप में राशि)

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

ढ. विज्ञापन और प्रचार	101,075.00	203,135.00
ण. कार्यालय उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	803,412.00	356,595.00
त. फनीर्वरों की मरम्मत और रखरखाव	17,398.00	43,985.00
थ. भवनों की मरम्मत और रखरखाव	4,966,895.00	6,010,227.00
द. वाहनों की मरम्मत और रखरखाव	1,382,602.14	1,613,811.00
ध. चंदा और अंशदान	10,000.00	12,484.00
न. प्रयोगशाला परीक्षण प्रभारों के विपरीत वसूली	-	-
प. रेज्ड प्लेटफार्म के निर्माण के विपरीत ज.सं.मंत्रा. को दिए गए अनुदान की वापसी	85,288.00	8,929,301.00
फ. वाटरशेड प्रबंधन के लिए निदेशक, कृषि को वापसी	14,720.00	-
कुल	20,137,630.91	28,645,779.50


(के.सी.कोंवर)
वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी (भारत सरकार)

अनुसूची-12

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

	कार्यों पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क.	नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्र से संबंधित कार्य		(रुपए में राशि)
	1. बहु प्रयोजनी परियोजना का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	25,945,641.00	31,938,266.40
	2. मास्टर योजना का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	1,001,473.00	1,042,031.00
	3. विशिष्ट जलनिकास स्कीम का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	872,662.00	936,340.40
	4. निहारी का प्रचालन एवं अनुरक्षण	9,100,950.80	8,562,238.00
	5. छोटा सूक्ष्म जलीय परियोजना का अन्वेषण	1,315,180.00	1,959,669.00
	6. उत्थित प्लेटफार्म के निर्माण के लिए तात्कालिक बाढ़ प्रबंधन कार्य	705,319.00	7,854,617.00
	7. बरनादि नदी की बाढ़ तथा तटकटाव से नाग्रिजुली, रंगिया शहर आदि का प्रतिरक्षण	4,825,746.00	29,539.00
	8. रंगमहल का तटकटावरोधी स्कीम	-	12,296.00
	9. कुचियाबिल का तटकटावरोधी स्कीम	8,367,087.00	6,890,513.00
	कुल (क)	52,134,058.80	59,225,509.80
ख.	मथाउरी उत्थित (मचान) (आर एवं डी स्कीम) का निर्माण	-	370,983.00
ग.	राष्ट्रीय जलविभाजक विकास परियोजना रेनफेड क्षेत्रों के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	-	24,235.00

पृ.सं. 47 पर जारी



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी (भारत सरकार)

अनुसूची-12
पृ.सं. 46 से जारी
(रुपए में राशि)

31 मार्च, 2008 को समाप्ति पर आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

कार्यों पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
घ. जमा-कार्य :		
1. किन्सी (जादुकटा) चरण-1। ब.प्रयो. परियोजना (पूर्वोत्तर परिषद द्वारा निधिपोषित) का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	4,620,226.00	5,996,090.00
2. जीयाभरली नदी का भौतिक नमूना अध्ययन (बी.आर.टी.एफ. द्वारा निधिपोषित)	326,335.00	2,086,747.75
3. कुण्डील सिंचाई परियोजना का केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भूमि परीक्षण एवं आधा	635,952.00	670.00
4. कुण्डील सिंचाई परियोजना का केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्माण एवं सामग्री परीक्षण	469,985.00	-
5. न्यूकछांगछू एच.ई. परियोजना का केन्द्रीय जल आयोग द्वारा माइक्रो हाईडल परियोजना	305,851.20	570.00
6. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा माइक्रोहाईडल परियोजना	-	783,631.00
कुल (घ)	6,358,349.20	9,262,926.75
कुल (क+ख+ग+घ)	58,492,408.00	68,488,436.55

(के.सी. कोंवर)
वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहाटी (भारत सरकार)

31 मार्च, 08 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ तथा अदायगियाँ लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	अदायगिया	1/4 Ik jM' k eB2	
				चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1- प्रारंभिक शेष					
क. नकद	30,513.79	24,837.33	1. स्थापना व्यय (धुनसूची -10)	117,214,405.00	103,050,493.09
ख. चालू खाता में बैंक में शेष	87,673,199.90	54,305,436.09	2. प्रशासनिक खर्चे (धुनसूची -10)	20,177,630.91	28,645,779.50
ग. अल्पवधि जमा	129,500,000.00	164,327,000.00	3. विभिन्न कार्यों के विपरीत किया गया भुगतान		
घ. कर्मचारियों के पास अग्रदाय	80,176.83	99,654.83	क. ब.प्र. परियोजना के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	25,945,641.00	31,938,266.40
ड. मार्गस्थ प्रेषण	610,244.00	709,074.00	ख. मा.यो. का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	1,001,473.00	124,665.00
			ग. वि.ज.वि स्कीम का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	872,662.00	936,340.40
2. भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	338,335,000.00	342,700,000.00	घ. निहारी का परिचालन एवं रखरखाव	9,147,293.00	8,562,238.00
			ड. लघु सुक्ष्म जलयी परि. का अन्वेषण	1,315,180.00	1,959,669.00
3. प्राप्त ब्याज			च. कुशियाबिल के लिए तटकटाव रोधी स्कीम	8,367,087.00	6,890,513.00
क. बैंक में जमा पर	4,400,515.00	5,443,476.00	छ. हयग्रीव-माथव मंदिर के समुख पानी टैंक का नवीकरण	-	-
ख. कर्मचारियों को भुगतान किया गया ऋण एवं अग्रिम	533,462.00	570,109.00	ज. रेज्ड प्लेटफार्म का निर्माण (आर एवं डी)	-	370,983.00
			झ. रा.ज.वि.परि का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (के.प्रा.स्कीम)	-	24,235.00
4. अदा की जाने वाली अन्य प्राप्तियाँ			ड. तात्कालिक बाढ़ प्रबंधन कार्य (रेज्ड प्लेटफार्म का निर्माण)	705,319.00	7,854,617.00
क. बयाना धन प्रतिभूति जमा आदि	27,430,653.00	22,866,373.00	ड. रांमहल का तटकटाव रोधी स्कीम	-	12,296.00
ख. विविध मासिक वसूलायाँ	86,135.00	159,866.00	4. स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद		
ग. टेकेवार से भूमि की क्षतिपूर्ति की कटौती	252,048.00	-	क. कार्यालय, डिजिटिंग एवं सर्वेक्षण उपस्कर	237,292.00	408,410.00
			ख. फर्नीचर एवं फिक्चर	714,729.00	888,083.00
			ग. भवन	-	726,277.00

पृ.सं. 49 पर जारी



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहाटी (भारत सरकार)

31 मार्च, 08 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ तथा अदायगियाँ लेखा

पृ.सं. 48 से जारी

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	अदायगिया	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
5- अन्य फुटकर प्राप्तियाँ	874,005.00	2,028,879.00	घ. कम्प्यूटर/परिफेरल्स ड. ट्यूबवेल और जल आपूर्ति	2,382,633.00 25,350.00	1,486,995.00 -
6- अग्रिम की वसूली/समायोजन	11,093,762.00	9,615,475.00	च. अन्य फुटकर परिसम्पत्तियाँ छ. भूमि 5. स्टाक एवं भण्डार	577,255.00 1,835.00	113,987.00 -
7- अग्रिम/जमा की वसूली/समायोजन			6. पूंजीगत कार्य प्रगति पर के विपरीत भुगतान		
क. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	20,439.00	248,927.00	क. हरांग ज्वि स्कीम का निर्माण	3,796,219.50	3,605,162.00
ख. ठेकेदार को अग्रिम	49,482.00	-	ख. पागलादिया बाँध परियोजना का निर्माण	24,000,115.00	20,562,069.49
ग. अन्य सरकारी निकायों के पास जमा	582,634.00	283,713.00	ग. जल विकास स्कीम का कार्य निष्पादन	7,303,161.00	11,733,196.00
8- अन्य प्राप्तियाँ/क्र.सं. 2 से 7 तक अंतर्भूक्त नहीं किया गया आय			घ. अमजुर जल विकास विकास स्कीम	3,085,471.00	2,831,360.00
क. राष्ट्रीय जलभिजकव विकास परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन के विपरीत कृषि मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			ड. बोला-हलीशुली में ब्रह्मपुत्र नद का अपवादन	51,031,824.00	11,499,407.00
ख. अवधि पूर्व का समायोजन	10,481.00	-	च. माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण	74,513,562.00	114,451,573.50
ग. जमा-कार्य के विपरीत प्राप्त निधि:			छ. बरभाग जल विकास विकास स्कीम	4,364,465.00	6,393,260.00
			ज. बनदि नदी से माजुली का तटकटाव एवं बाढ़ से बचाव	4,825,746.00	29,539.00
			झ. निहारी चरण-II का निर्माण	-	343,300.00
		930.00	7. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	120,439.00	24,028.00
			8. ठेकेदार को अग्रिम	18,520.00	34,875.00

पृ.सं. 50 पर जारी




ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहाटी (भारत सरकार)

31 मार्च, 08 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ तथा अदायगियाँ लेखा

पृ.सं. 49 से जारी

				¼ Ik jM' k e½
i) प्रयोगशाला परिक्षण प्रभार	1,664,092.00	1,780,705.00	275,000.00	252,540.00
ii) किन्सी जुड़कटा चरण-II व.परि का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण (पूर्वोत्तर परिषद् क्षरा विल्लोषित)	10,000,000.00	6,000,000.00	6,857,783.00	7,471,183.00
घ. छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान	29,088.00		21,080,055.00	11,414,627.00
			37,029.56	237,000.60
			326,335.00	2,086,747.75
			4,620,226.00	5,996,090.00
			-	255,515.00
			-	55,000.00
			29,479.06	30,513.79
			49,304,510.66	87,673,199.90
			168,900,000.00	129,500,000.00
			54,338.83	80,176.83
			25,866.00	610,244.00
कुल	613,255,930.52	611,164,455.25	613,255,930.52	611,164,455.25


(के.सी. कौबर)
वित्तीय सलाहकार



ब्रह्मपुत्र बोर्ड::गुवाहाटी-29
ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र

(रूपएँ आँकड़े में)

31 मार्च, 2007 को पिछला वर्ष	पूँजी और देनदारियाँ	31 मार्च, 2008 को चालू वर्ष	31 मार्च, 2007 को पिछला वर्ष	परिसम्पत्तियाँ	31 मार्च, 2008 को चालू वर्ष
29,125,468.12	कर्मचारियों का अंशदान	28,765,833.12		<u>स्थायी परिसम्पत्तियाँ</u>	48,110.00
77,304,562.52	नियोक्ता का अंशदान	85,447,762.52	56,389.00	मशीनरी और संयंत्र	
5,981,561.66	स्वैच्छिक अंशदान	7,906,008.66		<u>निवेश:</u>	
118,383,750.00	<u>चालू देनदारियाँ और प्रावधान:</u> सदस्यों को भुगतान योग्य ब्याज	135,818,347.00	205,868,221.00	(i) बैंक में स्थायी जमा	226,489,742.00
20,744,884.52	व्यय पर आय का आधिक्य	22,782,350.96	41,701,908.00	(i) स्थायी जमा पर उपार्जित ब्याज	49,495,330.00
			3,852,621.84	<u>अंशदाताओं को ऋण और अग्रिम</u>	4,348,274.84
				बैंक में नगद:	
			59,692.98	(i) यूनिन बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.खाता)	337,903.42
			1,394.00	(ii) आई.डी.बी.आई (एस.बी.खाता)	942.00
251,540,226.82	कुल	280,720,302.26	251,540,226.82	कुल	280,720,302.26

फ. जे. इज्जारिका
 (पी.सी.हाजरिका)
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं
 कार्यपालक अधिकारी
 ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य
 निधि ट्रस्ट

के.सी.काँवर
 (के.सी.काँवर)
 वित्तीय सलाहकार एवं
 अध्यक्ष
 ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य
 निधि ट्रस्ट



ब्रह्मपुत्र बोर्ड::गुवाहाटी-29
ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(रूप में अंकित में)

31 मार्च, 2007 को	व्यय	31 मार्च, 2008 को	31 मार्च, 2007 को	आय	31 मार्च, 2008 को
16,929,559.00	सदस्यों को भुगतानयोग्य ब्याज को	19,122,753.00		<u>बैंक से ब्याज द्वारा</u>	
-	- बैंक प्रभारों को	580.56	16,563.00	(क) सेविंग बैंक खाता	13,834.00
8,279.00	मूल्यहास को	8,279.00	19,265,836.00	(ख) स्थायी जमा प्राप्तियाँ	
2,344,561.00	तुलन-पत्र में लाया गया व्यय पर आय का आधिक्य	2,037,466.44		(i) वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	2,051,717.00
19,282,399.00	कुल	21,169,079.00	19,282,399.00	(ii) वर्ष के दौरान प्रावधान	19,103,528.00
				कुल	21,169,079.00

फ. च. राजसिंहा
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं
 कार्यपालक अधिकारी
 ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य-
 निधि ट्रस्ट

के. सी. सिंहा
 वित्तीय सलाहकार एवं
 अध्यक्ष
 ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी
 भविष्य निधि ट्रस्ट



ब्रह्मपुत्र बोर्ड: गुवाहाटी-29
ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और अदायगियाँ लेखा

(रूपएँ आँकड़े में)

31 मार्च, 2007 को	प्राप्तियाँ	31 मार्च, 2008 को	31 मार्च, 2007 को	अदायगियाँ	31 मार्च, 2008 को
96,118.98	<u>प्रारंभिक शेष को</u>		7,663,046.00	<u>कर्मचारियों के अंशदान</u>	8,840,500.00
367.00	(क) बैंक में नाद (यू.बी.आई)	59,692.98		द्वारा:	
	(ख) बैंक में नाद (आई.डी.बी.आई)	1,394.00		(क) कर्मचारियों के आंशिक आहरण	
9,173,106.00	<u>कर्मचारियों के अंशदान को:</u>		485,346.00	(ख) अ.भ.नि का अंतिम निपटारा	9,556,608.00
	(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड से	9,096,407.00	534.00	नियोजता के अंशदान द्वारा	1,019,608.00
	(ख) अन्य संगठनों से	<u>100,566.00</u>	3,879,900.00	स्वैच्छिक अंशदान द्वारा	237,553.00
9,165,501.00	<u>नियोजता के अंशदान को:</u>		61,000,000.00	अभिदाताओं को ऋण और अग्रिम	4,374,000.00
	(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड से	9,096,407.00	698,839.00	बैंक में आवधिक जमा द्वारा	88,189,742.00
	(ख) अन्य संगठनों से	<u>66,401.00</u>		सदस्यों को ब्याज के अंतिम निपटारे पर भुगतान द्वारा	1,688,156.00
1,490,625.00	<u>स्वैच्छिक अंशदान को</u>			बैंक प्रभार द्वारा	580.00
3,675,457.00	अभिदाताओं से अग्रिम की वसूली का			<u>अंतिम शेष द्वारा:</u>	
25,000,000.00	आवधिक जमा के भुनाने का		59,692.98	(क) बैंक में नाद (यू.बी.आई)	337,903.42
25,187,585.00	<u>निम्नलिखित से ब्याज को:</u>		1,394.00	(ख) बैंक में नाद (आई.डी.बी.आई)	942.00
	(क) बचत बैंक खाता	13,834.00			
	(ख) आवधिक जमा प्राप्ति	<u>13,361,823.00</u>			
	कुल	105,405,092.98	7,378,8751.98	कुल	105,405,092.98

फ. च. इजराफा
 (पी.सी.हाजरिका)
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं
 कार्यपालक अधिकारी
 ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य
 निधि ट्रस्ट

के. सी. कौवर
 (के.सी.कौवर)
 वित्तीय सलाहकार एवं
 अध्यक्ष
 ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य
 निधि ट्रस्ट



5.2 लेखे पर स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी

5.2.1 लेखे का प्रपत्र:

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, जैसा केन्द्रीय स्वयंशासी निकायों (गैर लाभकारी संगठन) के लिए लागू वित्तीय विवरणों के संशोधित प्रपत्र के अनुसार 2007-08 वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वार्षिक लेखा विवरणों को तैयार किया गया है, जिसमें तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं अदायगियाँ लेखा सम्मिलित हैं।

5.2.2 लेखाकरण सिद्धांत:

प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखे को नकदी आधार पर तैयार किया गया है, जबकि आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र को लेखाकरण के प्रोद्भूत प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है।

5.2.3 तालिका मूल्यांकन:

स्टाक और स्टोर्स सामग्री को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

5.2.4 स्थायी परिसम्पत्तियाँ:

स्थायी परिसम्पत्तियों को आंतरिक भाड़ा-दर, शुल्क तथा करों और आनुषंगिक एवं अर्जन से संबंधित प्रत्यक्ष खर्च समावेशित स्थायी परिसम्पत्तियाँ अर्जन के लागत पर उल्लिखित हैं।

5.2.5 मूल्यहास :

i) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास को कम्पनी संशोधित अधिनियम, 1956 में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार स्ट्रेट लाइन प्रणाली पर गणना की गई है।

ii) वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के जोड़ के संबंध में मूल्यहास को अनुपातिक आधार पर विचार किया गया है।

5.2.6 सरकार से सहायता अनुदान:

i) भारत सरकार, जल संसाधान मंत्रालय से

विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के विपरीत प्राप्त सभी अनुदानों को बोर्ड द्वारा पूँजी-अनुदान (कैपिटल ग्रांट) के रूप में माना जाता है।

ii) राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना रेनफैड एरियाज के प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन तथा हयग्रीव माधव मंदिर के सम्मुख वाटर टैंक नवीकरण के लिए प्राप्त अनुदान को राजस्व अनुदान के रूप में मान लिया गया है और तदनुसार, उन्हें आय और व्यय लेखे में दिखाया गया है।

5.2.7 जमा कार्य/प्रयोगशाला परीक्षण प्रभार:

i) निहारी में प्रयोगशाला परीक्षण प्रभार/ जमा कार्य के लिए अन्य संगठनों, यथा- पूर्वोत्तर परिषद, एन. एच.पी सी लि, बी.आर.टी. एफ, केन्द्रीय जल आयोग आदि से प्राप्त सभी राशि और 2007-08 के दौरान उस पर हुए व्यय को राजस्व मद के रूप में माना गया है और तदनुसार, उसे आय और व्यय लेखे में प्रदर्शित किया गया है।

ii) बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण किए गए जमा कार्य / प्रयोगशाला परीक्षण कार्य के विपरीत 31 मार्च 2008 को प्राप्त न हुई राशि को प्राप्ति योग्य के रूप में माना गया है और तदनुसार, इसे तुलन-पत्र में फुटकर कर्जदारी के अधीन प्रदर्शित किया गया है।

5.2.8 अन्य :

i) बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों के पास 31 मार्च, 2008 को चालू खाते पर बैंक में शेष राशि के बैंक विवरण को संबंधित प्रमाणीकृत शेष के साथ नियत रूप से संगति बैठायी गयी है।

ii) छुट्टी वेतन के लिए और पेंसन अंशदान के संबंध में किये गए निवेश को तुलन-पत्र में उद्दिष्ट निधि से निवेश के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

iii) पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण की तैयारी में हुई अशुद्धियों /त्रुटियों के संबंध में आय और खर्च



के सम्मिलित मदों को पूर्व अवधि के सभी समायोजन को आय और व्यय लेखों में अवधि-पूर्व समायोजन के अधीन दिखाया गया है।

iv) सन् 2004 (मई और जुलाई के दौरान) में आयी भयानक बाढ़ के कारण निर्माणाधीन पागलादिया बाँध परियोजना का बाँध स्थल मदालतना के पास बरसारकुची कार्यालय परिसर और बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए आयुक्त(डब्ल्यू आर), जल संसाधन मंत्रालय को पत्र सं. बीबी (पी सी) आर टी डब्ल्यू/03-04/62/28 दिनांक 01.01.04 यथासूचित प्रारंभिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड की रु.45.33 लाख की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। बाँध स्थलों की सुरक्षा परिसर में बोर्ड की सम्पत्ति व्यापक रूप से नष्ट हुई। बोर्ड की सम्पत्ति के बाढ़ द्वारा वास्तविक नुकसान के निर्धारण के संबंध में एक उप समिति का गठन किया गया है जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी, परंतु बोर्ड का अनुमोदन अभी तक प्रतिक्षित है। इस प्रकार, अनुसूची 3 (ख) में प्रदर्शित उक्त राशि रु. 35,3043,93.06 बोर्ड के वार्षिक लेखों में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मूल्य को बट्टे खाते में डालने के बशर्ते पागलादिया बाँध परियोजना के निर्माण के विपरीत है।

v) तुलन-पत्र या आय तथा व्यय लेखों में किसी भी आकड़े को राउंडेड-अप नहीं किया गया है। जल संसाधन मंत्रालय के का.ज्ञ.सं. 24/2/97-इ.आर दिनांक 22.3.2000 के अनुसरण में देहांग और सुबनसिरी परियोजना एन एच पी सी लिमि. को हस्तांतरित कर दिया गया था और उक्त आदेश के शर्तों में एन एच की सी पर उक्त परियोजना के लिए बोर्ड द्वारा व्यय किए गए रु. 26.51 करोड़ प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया गया था। यद्यपि, अभी तक एन एच पी सी द्वारा रु.1.35 करोड़ मात्र प्रतिपूर्ति की गई थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड अपनी बोर्ड बैठकों में समय-समय पर मामले की समीक्षा करता आ रहा है और शेष राशि की प्रतिपूर्ति तत्काल करने के लिए उसने

निदेश दिया है। तदनुसार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने मामले को भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय के स.सचिव और वित्त सलाहकार के पास पत्र सं. बीबी / एसीएस / 37/2000/53 दिनांक 12/10/2007 के जरिए उठाते हुए बकाये दावे के यथाशीघ्र निपटान हेतु मंत्रालय से अनुरोध किया है। मंत्रालय से निदेश अभी तक प्रतीक्षित है।

vi) जल संसाधन मंत्रालय के अ.शा. पत्र सं. 24/2/97-इआर/821 (ए) दिनांक 18.3.1999 और अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निपको लिमि. के बीच दिनांक 14.7.1999 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार बोर्ड द्वारा परियोजना पर व्यय किए गए रु. 4.88 करोड़ अभी तक निपको लिमिटेड से प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त नहीं हुई है।

vii) एक विभागीय वाहन जिसका पंजीकरण सं. ए एस - 14-ए-4209 (बोलेरो) खरीद मूल्य रु. 4,37,736.00 का दिनांक 11.04.07 को चोरी हो गई थी, जिसके लिए बशिष्ठ पुलिस स्टेशन, गुवाहाटी-29 में दिनांक 12.4.2007 को प्राथमिक रिपोर्ट (एफ आइ आर) दर्ज कराई गई थी। इस प्रयोजन के लिए एक जाँच समिति का गठन किया गया था और समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट बोर्ड को दिनांक 24.01.2008 को प्रस्तुत कर दी है, किंतु उसका अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है। अनुमोदन मिलने के बाद, परिसम्पत्ति के मूल्य को बट्टे खाते में डालने के लिए आवश्यक समायोजन करके बोर्ड की वार्षिक लेखों में प्रदर्शित किया जाना है।

viii) तुलन-पत्र या आय तथा व्यय लेखों में किसी भी आँकड़े को राउंडेड-अप नहीं किया गया है।

ix) तुलन-पत्र के एक अभिन्न भाग के रूप 31 मार्च 2008 को में अनुसूची-1 से अनुसूची-13 अनुबद्ध हैं और वर्ष की समाप्ति के लिए आय तथा व्यय लेख उसी तिथि पर है।



5.3 ब्रह्मपुत्र बोर्ड की वर्ष 2007-08 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी का 31 मार्च, 2008 वर्ष की समाप्ति के लिए भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	बोर्ड के उत्तर
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

1. हमने ब्रह्मपुत्र बोर्ड (बोर्ड) गुवाहाटी के 31 मार्च, 2008 के संलग्न तुलन-पत्र का और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के (दायित्वों, शक्तियों और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) के साथ पढ़ा जाए, का लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में बोर्ड के 17 इकाइयों के लेखें शामिल हैं और इन विवरणों की तैयारी का उत्तरदायित्व बोर्ड के प्रबंध मंडल की है। हमारा उत्तरदायित्व यही है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति दें।

कोई टिप्पणी नहीं ।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्कृष्ट लेखाकरण का अभ्यास-कार्य, लेखाकरण विशिष्टियाँ और प्रकट-क्रिया मानदण्ड के संबंध में लेखाकरण समाधान मात्र पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सी ए जी) के मत शामिल हैं। वित्तीय लेन देन पर लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण विधि, नियमों एवं विनियमों (उपयुक्तता और शुद्धता) और दक्षता सह सम्पादन-पहलू आदि के संबंध में यदि कुछ भी है तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट/सी ए जी के लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए पृथक रूप से रिपोर्ट किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं ।



ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी का 31 मार्च, 2008 वर्ष की समाप्ति के लिए भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	बोर्ड के उत्तर
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

3. हमने सामान्यतः भारत में मान्य लेखाकरण विशिष्टियों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। इन विशिष्टियों की अपेक्षा यह है कि हम योजनाबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा संचालित करें ताकि वित्तीय विवरण आदि भौतिक गलत-कथन से मुक्त हों और उनपर मार्जित आसासन प्राप्त करें। लेखापरीक्षा टेस्ट आधार पर परीक्षण, राशि पर समर्थित साक्ष्य और वित्तीय विवरण में किए गए खुलासे सहित है। लेखापरीक्षा में प्रबंध-मंडल द्वारा प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्धांत की गुणवत्ता और सांकेतिक प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विकास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारा मत को मार्जित आधार प्रदान करता है।

कोई टिप्पणी नहीं।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि:

i. हमने सर्वोत्तम ज्ञान और विकास के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त की हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

ii. इस रिपोर्ट द्वारा लाया गया तुलन-पत्र तथा आय और व्यय लेखें, प्राप्ति व अदायगी लेखें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में उचित रूप से किए गए हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

iii. हमारे मत में, बोर्ड द्वारा अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियों और अन्य संबंधित रिकार्डों का परीक्षण में जहाँ तक हमने देखा है रखरखाव किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं।



ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी का 31 मार्च, 2008 वर्ष की समाप्ति के लिए भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	बोर्ड के उत्तर
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

iv आगे हम रिपोर्ट देते हैं कि

क. तुलन-पत्र

क.1 परिसम्पत्तियाँ

क.1.1 स्थायी परिसम्पत्तियाँ रु. 135.88 करोड़

सेवा अयोग्य/टूटी-फूटी परिसम्पत्तियों का मूल्य बट्टे खाते में न डालने से / समायोजन न करने के कारण पूँजी निधि के उस सीमा तक परिणामी अत्युक्ति के साथ रु.3.63 करोड़ रूपए की 'स्थायी परिसम्पत्तियों' की अत्युक्ति हुई है।

जब जब भी फील्ड कार्यालयों से सेवा-अयोग्य/टूटीफूटी परिसम्पत्तियों की कांडेमनेशन रिपोर्ट मिलें, उनके विवरण के आधार पर आवश्यक समायोजन कर लिया जाता रहा है। आगे, फील्ड कार्यालयों को समय-समय पर वैसी सेवा-अयोग्य / टूटीफूटी परिसम्पत्तियों के कांडेमनेशन के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जा रहे हैं, ताकि वार्षिक लेखें पर स्थायी परिसम्पत्तियों का वास्तविक चित्रण का प्रदर्शन हो सके।

क.1.2 चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

क.1.2.1 स्टॉक एवं भण्डार रु. 0.26 करोड़

सेवा अयोग्य/टूटी-फूटी/चोरी हुए औजार एवं संयंत्रों का मूल्य बट्टे खाते में न डालने से / समायोजन न करने के कारण पूँजी निधि के उस सीमा तक परिणामी अत्युक्ति सहित रु.0.06 करोड़ रूपए की चालू परिसम्पत्तियों की अत्युक्ति हुई है।

लेखापरीक्षा द्वारा दिखाए गए फील्ड कार्यालयों के संबंध में रु 06.00 लाख के वैसी सेवा-अयोग्य टी एवं पी सामग्री के कांडेमनेशन रिपोर्ट के न मिलने के कारण उसे 31.3.2008 को समायोजित नहीं किया जा सका। हालांकि, संबंधित फील्ड कार्यालयों को टी एवं पी का कांडेमनेशन रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है, ताकि उसे वार्षिक लेखें 2008-09 में समायोजित किया जा सके।

क.2 पूँजी निधि और देनदारियाँ

क.2.1 पूँजी निधि - 191.84 करोड़

इसमें छुट्टी वेतन और पेंसन अंशदान के लिए उद्दिष्ट निधियों का रु. 5.15 (रु.4.32 करोड़ ब्याज सहित) करोड़ शामिल हैं, जिसे पृथक रूप से दिखाया जाना चाहिए था।

रु. 5.15 करोड़ रूपए की राशि, जैसा लेखापरीक्षा ने पर्यवेक्षण किया था, को इतिपूर्व लेखे के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तुलन-पत्र में अनुसूची - 4 के अधीन 'उद्दिष्ट निधि से निवेश' लेखा-शीर्ष के अधीन पृथक रूप से दिखाया गया है, जबकि उसे पूँजी निधि में शामिल नहीं किया गया है।



ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी का 31 मार्च, 2008 वर्ष की समाप्ति के लिए भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	बोर्ड के उत्तर
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

ख.1 आय और व्यय लेखा व्यय

ख.1.1 मूल्यहास- रू. 83.62 लाख

पूँजीगत कार्य प्रगति में (अनुसूची-3) मूल्यहास के अशुद्ध प्रभार के कारण तुलन-पत्र में देनदारियों (पूँजी निधि) और परिसम्पत्तियों (स्थायी परिसम्पत्तियाँ) दोनों के परिणामी न्यूनोक्ति सहित रू. 6.82 करोड़ रूपए की अत्युक्ति हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/ स्कीमों की पूँजीगत कार्य प्रगति पर, के रूप में दिखाए गए रू. 6.82 लाख की स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यहास की व्यवस्था की गई है, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा अपनी पूर्ववर्ती रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि सिर्फ परिसम्पत्तियों के वास्तविक मूल्य के चित्रण के लिए ऐसा किया जाना है। इस प्रकार, कोई न्यूनोक्ति नहीं हुई है, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा पर्यवेक्षण किया गया था।

ग. सहायता-अनुदान

वर्ष के दौरान उपलब्ध अनुदान की राशि रू.40.76 करोड़। में से संगठन रू. 36.05 करोड़ का उपयोग कर सका, जिसके फलस्वरूप 31 मार्च, 2008 को रू. 4.71 करोड़ की राशि की शेष के रूप में उपयोग नहीं हुई।

(पिछले वर्षों के उपयोग न किए गए अनुदान 6.93 करोड़ रूपए की राशि अंतर्विष्ट)

कोई टिप्पणी नहीं।

घ. प्रबंध-मंडल का पत्र

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल न की गई कमियों को सुधार/त्रुटि रहित करने के लिए पृथक रूप से प्रबंधन-पत्र के जरिए बोर्ड की नजर में लाया गया है।

नोट कर लिया गया।

v. पूर्ववर्ती पैराओं में दिए गए हमारे पर्यवेक्षणों के बशर्ते, हम रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट में संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा / प्राप्ति एवं अदायगी लेखा लेखा-बहियों के साथ मिलते हैं।


कोई टिप्पणी नहीं।



ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी का 31 मार्च, 2008 वर्ष की समाप्ति के लिए भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	बोर्ड के उत्तर
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

- vi. हमारे मत में और हमारी उत्तम सूचना में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाकरण नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों एवं ऊपर वर्णित सांकेतिक मामलों के बशर्ते तथा अनुबंध में उद्धृत अन्य विषयों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित उक्त वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ लिया जाए, सामान्यतः भारत में मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के साथ सत्य और स्वच्छ दृष्टिकोण उपस्थापित करती है।
- क. जहाँ तक इसका तुलन-पत्र के साथ संबंध है, यह 31 मार्च, 2008 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी का कार्यकलाप है, और
- ख. जहाँ तक इसका उस तिथि के समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा के संबंध है, इसमें घाटा है।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक
के पक्ष में और उनके लिए
ह/-
महालेखापरीक्षक (लेखापरीक्षा), असम
स्थान: गुवाहाटी, दिनांक 30/01/2009


(के.सी.कोंवर)
वित्तीय सलाहकार
ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बशिष्ट, गुवाहाटी-29

प्रत्याख्यान :

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।



अनुलग्नक

1. आभ्यन्तरी नियंत्रण और आभ्यन्तरी लेखापरीक्षा

ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 के नियम 15 (3) के अनुसार ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखें और आभ्यन्तरी लेखापरीक्षा संचालन के लिए वित्तीय सलाहार उत्तरदायी हैं। आभ्यन्तरी नियंत्रण और लेखापरीक्षा की उत्कृष्टता के लिए बोर्ड के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा स्कंध गठित किया जाए।

2. भौतिक सत्यापन की प्रणाली

परिसम्पत्तियों, स्टॉकों एवं भण्डारणों का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से संचालन किया जा रहा था, परंतु बहुत दिनों से सेवा-अयोग्य सामग्री स्टोर में पड़ी हुई थी। भौतिक सत्यापन में मिले निष्कर्षों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्याय - VI

वर्ष 2007-08 के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण बैठकें

6.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठकें और महत्वपूर्ण निर्णय

वर्ष 2007-08 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 2 (दो) बैठकें (45वीं और 46वीं) हुईं। 45वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11.6.2007 को ईटानगर में हुई परंतु गणपूर्ति न होने से 45वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.9.2007 को गुवाहाटी में हुई तथा 46वीं बोर्ड बैठक भी दिनांक 8.2.2008 को गुवाहाटी में हुई।

6.1.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा 45वीं (स्थगित) बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- क. वर्ष 2006-07 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन
- ख. वर्ष 2006-07 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वार्षिक लेखे का अनुमोदन
- ग. 38वीं स्थायी समिति की बैठक के निर्णयों की अभिपुष्टि

6.1.2 ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा 46वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- क. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से बोर्ड सदस्य का परिवर्तन अनुमोदित
- ख. भोगदोई, गदाधार, बेलसिरी, डिपोटा, कुलसी देउसिला और बुरोइ 6 (छह) के उप-बेसिन मास्टर योजना अनुमोदित।
- ग. स्थायी समिति की 39वीं बैठक के निर्णय की अभिपुष्टि

6.2 स्थायी समिति की बैठक:

बोर्ड की स्थायी समिति की 2 बैठकें (38वीं और 39वीं) हुईं। समिति की 38वीं बैठक गुवाहाटी में दिनांक 9.7.2008 को हुई और ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 39वीं स्थायी

समिति की बैठक दिनांक 7.2.2008 को गुवाहाटी में हुई।

6.2.1 38वीं स्थायी समिति की बैठकों के महत्वपूर्ण निर्णय

- क. ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 2006-07 के लिए बजट प्राक्कलन का अनुमोदन।
- ख. ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक कार्य-योजना का अनुमोदन।
- ग. 9 प्राक्कलनों का अनुमोदन।

6.2.2 39वीं स्थायी समिति के बैठकों के महत्वपूर्ण निर्णय

मेघालय सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की उपलब्धता के अनुसार किलिंग बहुप्रयोजनी परियोजना के लिए अन्वेषण और सर्वेक्षण के संशोधित प्राक्कलन का अनुमोदन।

6.3 अन्य महत्वपूर्ण बैठक/ घटनाएं आदि:

1. दिनांक 10.4.2007 को नई दिल्ली में जल संसाधन पर आयोजित संसदीय स्थायी समिति की बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
2. दिनांक 30.4.2007 को नई दिल्ली में आयोजित एन एच पी सी की बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
3. दिनांक 18.6.2007 को नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर आयोजित बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
4. दिनांक 27.6.2007 को नई दिल्ली में सचिव ज.स. द्वारा ली गई ए आइ बी



- पी और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
5. दिनांक 6.7.2007 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर आयोजित बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
 6. दिनांक 12.7.2007 को माजुली में असम के राज्यपाल द्वारा ली गई बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
 7. दिनांक 17.7.2007 को नई दिल्ली में आयोजित डोनियर की बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
 8. दिनांक 9.8.2007 को असम सरकार के मुख्य सचिव के साथ हुई एक बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
 9. दिनांक 3.9.2007 को असम के मुख्यमंत्री के माजुली दौरे के संबंध में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने माजुली द्वीप का दौरा किया।
 10. दिनांक 7.10.2007 को सिलचर में मंत्री (एच आइ एंड पी इ) बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
 11. दिनांक 29.10.2007 को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री के लिए आयोजित ब्रिफिंग बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
 12. दिनांक 12.11.2007 से 14.11.2007 तक जल संसाधन मंत्री और उनके टीम के साथ रोहमरिया/माजुली के दौरे में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
 13. दिनांक 19.11.2007 को इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड, गुवाहाटी द्वारा 'मॉर्फोलॉजी ऑफ रीवर ब्रह्मपुत्र' विषय पर आयोजित कार्यशाला में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
 14. दिनांक 18.12.2007 को आयोजित टेकनिकल विशेषज्ञ दल की एक बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया।
 15. ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने स्थायी समिति के सदस्यों के साथ मिलकर माजुली के तटकटाव स्थल का दौरा करके दिनांक 2.1.2008 से 4.1.2008 तक जोरहाट में आयोजित बैठक में भाग लिया।

अनुबंध



अनुबंध - I

बोर्ड की संरचना

ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 180 (46 के 1980) की धारा (4) के उपधारा (3) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन नियुक्त

पूर्णकालिक सदस्य

1.	अध्यक्ष	- डॉ. टी.जी. एन्टनी बालन इंजी.राजन नायर	दिनांक 4.5.2006 से 31.8.2007 तक दिनांक 03.10.2007 से
2.	उपाध्यक्ष	- पी.के. डेका	दिनांक 29.5.2006 से 29.2.2008 तक
3.	महा प्रबंधक	- पी.के. डेका	दिनांक 29.05.06 से 17.04.07 तक दिनांक 18.4.2007 से 30.4.2008 तक
4.	वित्तीय सलाहकार	- के.सी. कोवॅर	दिनांक 20.07.04 से 30.6.2007 और 16.8.2007 से 16.2.2008 तक

अंशकालीन सदस्य

1.	असम सरकार के सचिव, बाढ़ नियंत्रण	असम सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
2.	मुख्य अभियंता, पी डब्ल्यू डी (आर) मेघालय सरकार	मेघालय सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सचिव, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, नागालैण्ड सरकार	नागालैण्ड सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	मुख्य अभियंता, पी डब्ल्यू डी, (जल संसाधन), त्रिपुरा सरकार	त्रिपुरा सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	सचिव (आई एफ सी डी के प्रभारी) मणिपुर सरकार	मणिपुर सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	मुख्य अभियंता, शक्ति एवं विद्युत विभाग मिज़ोराम सरकार	मिज़ोराम सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य



8.	वित्तीय सलाहकार, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग	पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव/(भूमि संरक्षण और मृदा संसाधन) कृषि मंत्रालय	कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	आयुक्त (बी एण्ड बी) जल संसाधन मंत्रालय	जल संसाधन के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय	वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय	विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
13.	मुख्य अभियंता, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइ डब्ल्यू ए आइ)	सतही परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
14.	सदस्य (आर एम) केन्द्रीय जल आयोग	केन्द्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
15.	सदस्य (एच ई), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
16.	उप महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिनिधि	सदस्य
17.	महा निदेशक, मौसमविज्ञान विभाग आई.एम.डी	मौसमविज्ञान विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य

विशेष आमंत्रित

1. सलाहकार, (पू.क्षे.), योजना आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1
2. मुख्य अभियंता, (बी एवं बी बी), केन्द्रीय जल आयोग, उम्पलिंग, डाक-रिन्झा, शिलांग।
3. सचिव, सिंचाई एवं जल मार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, जलसम्पद भवन, साल्ट लेक, कोलकाता-91
4. सचिव, सिंचाई, सिक्किम सरकार, गान्तोक।
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डोनिअर), के प्रतिनिधि, विज्ञान भवन एनेक्स, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली- 110001.



अनुबंध - II

भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित संकल्प संख्या 2(17)/80-एफसी /460 दिनांक
19 मार्च, 1982 तहत नियुक्त हाईपावर रिव्यू बोर्ड की संरचना

- | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| i. | केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री | - अध्यक्ष |
| ii. | मुख्यमंत्री, असम अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | - सदस्य |
| iii. | मुख्यमंत्री, मणिपुर अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | - सदस्य |
| iv. | मुख्यमंत्री, मेघालय अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | - सदस्य |
| v. | मुख्यमंत्री, नागालैण्ड अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | - सदस्य |
| vi. | मुख्यमंत्री, त्रिपुरा अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | - सदस्य |
| vii. | मुख्यमंत्री, मिजोरम अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | - सदस्य |
| viii. | मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत
कोई केबिनेट मंत्री | - सदस्य |
| ix. | केन्द्रीय वित्त मंत्री/वित्त राज्य मंत्री | - सदस्य |
| x. | जल संसाधन राज्य मंत्री | - सदस्य |
| xi. | केन्द्रीय मंत्री/ऊर्जा राज्य मंत्री | - सदस्य |
| xii. | केन्द्रीय कृषि मंत्री/कृषि राज्य मंत्री | - सदस्य |
| xiii. | केन्द्रीय सतही परिवहन मंत्री/केन्द्रीय सतही परिवहन राज्य मंत्री | - सदस्य |
| xiv. | सचिव/जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार | - सदस्य |
| xv. | अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग | - सदस्य |
| xvi. | अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड | - सदस्य-सचिव |
| xvii. | सदस्य (आर.एम.) केन्द्रीय जल आयोग | - स्थायी आमंत्रित |



ब्रह्मपुत्र बोर्ड :: गुवाहटी
(भारत सरकार)

अनुबंध - IV

31.3.2008 को अनु.जाति, अनु.जाति, अ.पिछड़ी जाति तथा शा.विक सहित नियमित स्वीकृत बल एवं अधिकारियों/स्टाफ की संख्या की स्थिति का विवरण

(31.03.08)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	समूह-क.रु.8000/-13000/- या अधिकतम सीमा वाले वेतनमान				समूह-क.रु.5500/-10500/- या अधिकतम सीमा वाले वेतनमान				समूह-क.रु.5000/- 10000/- या अधिकतम सीमा वाले वेतनमान				समूह-क.रु. 3400/- से कम सीमा वाले वेतनमान				कुल (का.ख.ग.प.घ)									
		मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.	मं. पं. पं. पं. पं.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	बोर्ड मुख्यालय सम्पर्क इकाई सहित	9	7	1	1			12	10					40	40	5	4	7	1	26	24	5	1	1	1	87	81
2	वित्त सलाहकार का कार्यालय	5	3			1		4	4					18	17	2	2	0	0	4	4	1	0	1	0	31	28
3	मु.अभियंता (पी एच डी) का कार्यालय	21	14	1		1		7	6		1	1		20	21	1	2	2	0	12	11	2	0	1	0	60	52
4	मु.अभियंता (आई एच डब्ल्यू) का कार्यालय	7	4					4	2					12	15	2	0	0	0	5	5	1	0	0	0	28	26
5	अधी.अभियंता (फील्ड) का कार्यालय	4	5					3	6		1			25	22	4	0	2	1	12	14	1	1	2	0	44	47
6	कार्य.अभियंता (फील्ड) का कार्यालय	35	38	2		4		76	62	5	6	1		168	165	34	12	20	2	98	93	14	8	6	3	377	358
	कुल	81	71	4	7	0	106	90	5	8	2		283	280	48	20	31	4	157	151	24	10	11	4	627	592	



अनुबंध - V

वर्ष 2007-08 के दौरान प्रशिक्षण/ संगोष्ठी/ कार्यशाला में भेजे गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

प्रशिक्षु का नाम	भाग लिए गए प्रशिक्षण/संगोष्ठी/ कार्यशाला का विवरण	अवधि और प्रशिक्षण का स्थान	क्या अनु.जाति/ जनजाति है
1. श्री ज्योतिर्मय बरकटकी अनु.अधि.(लेखा) नियमावलियों के लिए प्रशिक्षण परिपत्र	कार्यालयाध्यक्ष और आ.स. अधिकारियों के लिए वित्तीय	16 से 27 अप्रैल, 2007 नई दिल्ली में	
2. श्री टी.एन.बर्मन आशु. ग्रेड-I	ऑफिस प्रबंधन और सू.प्रौ पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम गुवाहाटी में	30 अप्रैल, 2007 से 5 मई, 2007	
3. श्री जी.शर्मा उ.श्रे.लिपिक	ऑफिस प्रबंधन और सू.प्रौ पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम गुवाहाटी में	30 अप्रैल, 2007 से 5 मई, 2007	
4. श्री एम.पी.शर्मा, वै.सचिव	इम्प्रुविंग इफैक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्रेटॉरीज/पर्सनल असिसटेंट्स	25 से 27 सितम्बर, पुरी में	
5. श्री टी.एन.बर्मन आशु. ग्रेड-II	इम्प्रुविंग इफैक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्रेटॉरीज/पर्सनल असिसटेंट्स	25 से 27 सितम्बर, पुरी में	
6. श्री डी.चक्रवर्ती आशु. ग्रेड-II	इम्प्रुविंग इफैक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्रेटॉरीज/पर्सनल असिसटेंट्स	25 से 27 सितम्बर, पुरी में	
7. श्री आइ.हुसैन अधी. अभियंता	अनुभाग अधिकारी तथा उनसे उपर के लिए प्रशासनिक-II कोड (एवी-2) में प्रशिक्षण कार्यक्रम	12 से 23 नवंबर, 2007 नई दिल्ली में	
8. श्री डी.एन.बुजरबरुवा का.अभियंता	अनुभाग अधिकारी तथा उनसे उपर के लिए प्रशासनिक-II कोड (एवी-2) में प्रशिक्षण कार्यक्रम	12 से 23 नवंबर, 2007 नई दिल्ली में	
9. पी.सालोई का.अभियंता	राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	4 से 9 फरवरी, तक तेजपुर, असम में	
10.बी.हाजरिका स.का.अभियंता	राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	4 से 9 फरवरी, तक तेजपुर, असम में	



अनुबंध - VI
अन्य संगठनों के प्रतिनियुक्त अधिकारियों
की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	संगठन	प्रतिनियुक्त अवधि
1	श्री के.के.भागवती	फरक्का बेराज परियोजना सह.कार्यपालक अभियंता	8.5.2007 से प्रभावी
2	श्री कमल कुमार तालुकदार	फरक्का बेराज परियोजना कार्यपालक अभियंता	8.5.2007 से प्रभावी
3	श्री एन.वी.पिल्लै वैयक्तिक सचिव	केन्द्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण	12.08.2005 से 11.8.2008 तक प्रभावी
4.	श्री अनुतोष भट्टचार्य कनिष्ठ अभियंता	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	8.8.2006 से 3 वर्ष के लिए



अनुबंध - VII

आर टी आइ सूचना प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र

मंत्रालय/विभाग/संगठन

: ब्रह्मपुत्र बोर्ड

सुझाव/पहल

वर्ष 2007-08 (मार्च, 2008 तक)

अगला सार्वजनिक प्राधिकारी

अन्तर्निवेश प्रणाली (नया प्रतिवेदन)

		2007-08 में प्रगति			
	1/4/2007 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी को हस्तान्तरित मामले सहित)	अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय, जहाँ अनुरोध/अपील खारिज हुए	निर्णय, जहाँ अनुरोध/अपील ग्रहण कर लिए गए
अनुरोध 2	शून्य	28	शून्य	2	28
प्रथम अपील	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान प्राप्त 28 अनुरोध में से, 15 वैयक्तिक रूप से सीधे प्राप्त हुए और 13 ज.सं. मंत्रालय से प्राप्त हुए

उन मामलों की संख्या, जहाँ किसी भी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई	शून्य
-----------------------------------------------------------------------------	-------

नामजद किए गए सी ए पी आइ ओ की संख्या	नामजद किए गए सी ए पी आइ ओ की संख्या	नामजद किए गए ए ए की संख्या
शून्य	1	14



अनुरोधों को खारिज करते समय आमंत्रित विविध प्रावधानों के मदों की संख्या
आर टी आइ अधिनियम 2005 संबंधित धाराएँ

धारा (1)								घाटाएँ					
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	9	11	24	अन्य
							2						

	संग्रहित प्रभार की राशि (रूपए में)	
पंजीकरण शुल्क की राशि	अतिरिक्त शुल्क और अन्य कोई प्रभार	पैनल्टी की राशि
रु. 140.00	रु.890.00	शून्य

